VISIONIAS™

www.visionias.in

समसामयिकी

नवम्बर - 2015

1 से 15 नवम्बर

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

4. बाल अधिकार
6. दवा मूल्य निर्धारण नीति
7. नागरिक उड्डयन नीति का प्रारूप
10. उपकर का अत्यधिक प्रयोग:
10. स्व-प्रमाणन
11. पैतृक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध: भारत एंव विश्व

12. भारत-अफगानिस्तान संबंध
12. आसियान- पारस्परिक व्यवहार पर घोषणा
13. भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आई.ए.एफ.एस.)
14. चीन के साथ नेपाल का ऊर्जा सौदा
15. भारत और बांग्लादेश द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) पर हस्ताक्षर
15. भारत-ब्रिटेन
16. भारत-चीन: नदी और संस्कृति
16. भारत-रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास
16. भारत और तुर्कमेनिस्तान
16. भारत-दक्षिण कोरिया: वायु सेवा सहयोग
17. इतालवी समुद्री मामला
17. चीनी संसद द्वारा 100 बिलियन डॉलर के ए.आई.आई.बी. का अनुसमर्थन
17. भारत और बेल्जियम के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

अर्थव्यवस्था

18. मौद्रिक नीति पैनल
18. दिवालियापन कानून.
19. उर्जा क्षेत्र के लिए उदय योजना
20. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मानदण्ड/मानक में सुधार
20. परियोजना ऋण के लिए विश्व बैंक की नवीन शर्ते
21. अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (Bank for International Settlement-BIS)
21. सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक कंपनियों की सहायतार्थ अफ्रीकन मार्ग पर विचार
21. मेक इन इंडिया कार्यक्रम में समस्या
22. विदेशी निवेश प्राप्त करने में भारत का 'प्रथम' स्थान
22. भारत विश्व का 7वां वैल्युड नेशन ब्रांड बना
22. भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक बन कर उभरा
22. भारतीय रेलवे की पुर्नद्धार परिषद - 'कायाकल्प'
22. महिला एवं घरेलू कार्य

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी

24. आनुवांशिक प्रमाणों की पहचान में होगा आयुर्वेदिक प्रकृति का प्रयोग
24. संचार उपग्रह जीसैट – 15 का सफल प्रक्षेपण
25. नासा ने एक अन्य शक्तिशाली गामा किरण विस्फोट की खोज की
25. नासा के अनुसार सौर पवनों ने वायुमंडल को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
26. इम्प्रिन्ट भारत कार्यक्रम
26. आइ एस एस (ISS) पर मानव उपस्थिति के 15 वर्ष
26. गूगल तथा यूरोपीय संघ के बीच संघर्ष
26. आदित्य - सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का वैज्ञानिक मिशन

आंतरिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था

28. ग्राउंड जीरो शिखर सम्मेलन वर्ष 2015
28. अंतरिक्ष में साइबर सुरक्षा
29. पुलिस सुधार
30. अनूप चेतिया भारत के कब्ज़े में
30. 'नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल' गुटों की अरुणाचल प्रदेश में पैठ
30. मेघालय में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम (आफ्स्पा)

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

32. ILED The Way अभियान
32. भारत वाहन उत्सर्जन मानक – छटा चरण
33. कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर रिकार्ड ऊँचाई पर
33. अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की तुलना में ज्यादा बर्फ बन रही है: नासा

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
Heartiest congratulations !
Rank-3
Rank-4
Rank-5
NIDHI GUPTA
VANDANA RAO
SUHARSHA BHAGAT
40+ in top 100
400+ Selections
in CSE 2014

Your liitle help could make
them realise their DREAM
Doctor
Ankush sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)
Actor
Vandna devi class:3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)
Engineer
Sadhana devi class:ukg
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)
Cartoonist
Rupa Devi class :3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)
Astronaut
Shivam maurya class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)
Writer
Mona sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)
Scientist
Akanksha devi class: LKG
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)
Comedian
Gaurav Kumar class:1
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)
To Educationally adopt one of these children visit us at www.globalvillagefoundation.in

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

बाल अधिकार

14 से 20 नवम्बर तक विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार सप्ताह (आई.सी.आर.डब्ल्यू.) का आयोजन किया गया। भारत में 20 नवम्बर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे पूरे विश्व में लोगों को बच्चों के अधिकारों के संबंध में जागरूक बनाने हेतु विश्व बाल दिवस (अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस) के रूप में भी मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1954 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह अनुशंसा की कि संपूर्ण विश्व के बच्चों के बीच बंधुत्व तथा समझ को प्रोत्साहित करने तथा बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों को अपने यहाँ विश्व बाल दिवस का आयोजन का आरम्भ करना चाहिए।
- वर्ष 1959 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार की घोषणा को स्वीकार किया तथा इसने बच्चों के अधिकारों के संबंध में एक समझौते को भी अपनाया।

बच्चों के अधिकार की सुरक्षा क्यों ?

- बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय के अनुसार (भारत ने 1992 में इसे अंगीकार किया), सभी बच्चे मूल अधिकारों के साथ जन्म लेते हैं।
- बच्चों के अधिकार का अर्थ होता है बच्चों का मूलभूत मानवाधिकार जिसमें नाबालिग बच्चों के अधिकार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।
- बाल अधिकारों में निम्न सम्मिलित हैं:
- उत्तरजीविता का अधिकार- जीवन, स्वास्थय, पोषण, नाम तथा राष्ट्रीयता का अधिकार।
- विकास का अधिकार – शिक्षा, देख-भाल, अवकाश, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का अधिकार।
- संरक्षण पाने का अधिकार – शोषण, दुर्व्यवहार, मानव तस्करी तथा उपेक्षा से।
- भागीदारी का अधिकार – अभिव्यक्ति, जानकारी, विचार और धर्म का अधिकार।

बाल अधिकार, बाल श्रम तथा बाल उत्पीड़न के विरूद्ध है ताकि बच्चे का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

बाल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने की क्या आवश्यकता है?

बाल अधिकारों से संबंधित गंभीर तथ्य :

- बच्चों के विरुद्ध अपराध में तीव्र वृद्धि – एक वर्ष में बच्चों के विरुद्ध अपराध में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- बढ़ते शहरीकरण के कारण बच्चों की बीमारियों (पोषण का अभाव, वृद्धि रुक जाना तथा उच्च आई.एम.आर. जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे)। उनके विरुद्ध अपराध में भी वृद्धि हुई है।
- शहरों में रह रहे बच्चे न सिर्फ ऐसी हिंसा का शिकार होते हैं बल्कि उनके संगठित अपराध के गोरखधंधे का अंग बनने का भी ख़तरा है।
- **बाल श्रम** – वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 5 से 14 वर्ष के आयु-समूह में 40 लाख बच्चे कार्यरत हैं। पूरे विश्व में अब भी 17 करोड़ बच्चे

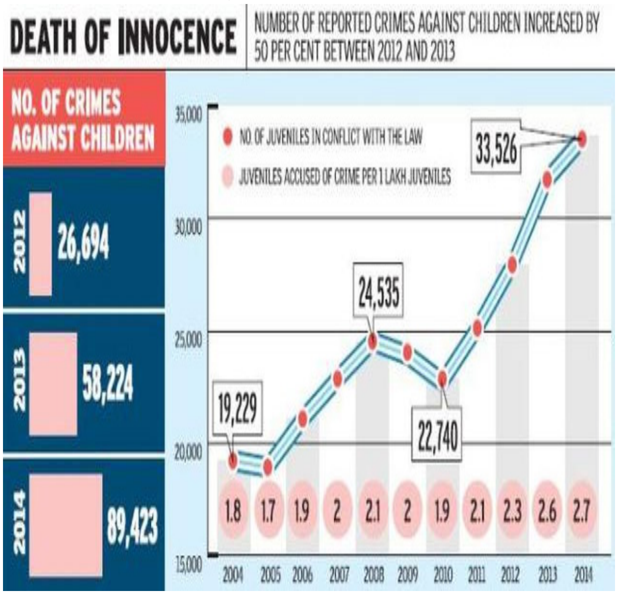

बाल-श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा उनमें से 8.5 करोड़ बच्चे बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल-दासता के सबसे निकृष्टतम रूपों के शिकार हैं।

- बाल विवाह – भारत में 65 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु तक हो जाता है तथा इसके बाद वे शीघ्र ही माँ बन जाती हैं।
- शिक्षा– शिक्षा समृद्ध लोगों का व्यवसाय तथा विशेषाधिकार बन गया है। यह समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के बहिष्करण का कारण बन जाती है।
- कुपोषण – विकासशील जगत में व्याप्त कुपोषण का 40 प्रतिशत भारत में है।
- बाल लिंगानुपात – 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में लड़कियों की घटती संख्या चिंता का विषय है। प्रत्येक 1000 लड़कों पर केवल 927 लडकियां हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र – इस क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के समक्ष सीमा पार मानव तस्करी का शिकार बनने का खतरा है।
- जन्म के केवल 35 प्रतिशत मामले पंजीकृत किये जाते हैं। जिससे उनके नाम तथा राष्ट्रीयता का निर्धारण होता है।

- प्रत्येक 16 बच्चों में से एक, 1 वर्ष की आयु होने तक मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। प्रत्येक 11 बच्चों में से एक, 5 वर्ष की आयु सीमा प्राप्त करने से पहले काल-कवलित हो जाते है। आयु सीमा प्राप्त करने से पहले काल-कवलित हो जाते है।
- परीक्षा के समय बच्चे अत्यधिक तनाव से गुजरते हैं तथा उनके लिए कोई हेल्पलाइन भी नहीं है। किशोरवय जनसंख्या के बीच दक्षिण भारत में आत्महत्या की दर सर्वोच्च है।
- माता-पिता के पास बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए जानकारी, कौशल तथा रणनीतियों का अभाव होता है। उनके पास अपने बच्चों के लिए समय का भी अभाव होता है।
- हिंसा के बीच पालन-पोषण किसी बच्चे के विकास, आत्म-सम्मान, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक सम्पूर्णता पर गंभीर प्रभाव डालता है।

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए असम राज्य आयोग द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट से इस बात का पता चलता है कि राज्य की कम से कम 80 प्रतिशत चाय बागानें शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करती रही हैं। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया है कि चाय बागानों में बच्चों की बड़ी संख्या चाय की पत्तियों को तोड़ने के काम में लगाई जाती है। स्कूल जाने की जगह उनसे कारखानों में काम कराया जाता है।

भारत में बाल अधिकारों को संरक्षण देने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 14- कानून के समक्ष समानता।

अनुच्छेद 15- राज्य किसी नागरिक के साथ भेद-भाव नहीं करेगा। इस अनुच्छेद में उल्लिखित कोई भी बात राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी।

अनुच्छेद 21-जीवन का अधिकार

अनुच्छेद 21ए- (आर.टी.ई.) राज्य स्वयं के कानूनों के अनुसार निर्दिष्ट तरीकों के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद 23-मनुष्यों के दुर्व्यपार तथा बलात श्रम का निषेध।

अनुच्छेद 24-कारखानों में बच्चों की नियुक्ति का निषेध।

संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम की अधिसूचना 13 दिसंबर 2002 को जारी की गयी थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को उनका मूल अधिकार बनाया गया।

अनुच्छेद 39 (ई.) तथा 39 (एफ़.) – बाल श्रम को रोकने के लिए

अनुच्छेद 45- आरंभिक बाल्यावस्था में देख-भाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान।

अनुच्छेद 47- पोषण स्तर तथा जीवन यापन के मानक को ऊंचा उठाने का प्रावधान।

बालक या बालिका किसे समझा जाए ?

- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय (यू.एन.सी.आर.सी.) के अनुसार, बालक या बालिका का अर्थ है 18 वर्ष की आयु से कम का प्रत्येक मनुष्य।
- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार 14 वर्ष की आयु सीमा के भीतर का कोई भी व्यक्ति बच्चा है।
- कारखान अधिनियम, 1948 तथा वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, 1951 के अनुसार, 15 वर्ष की आयु सीमा के भीतर का कोई भी व्यक्ति बच्चा माना जाएगा।
- किशोर न्याय (बच्चों की देख-भाल तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000 ने बच्चे की परिभाषा बदल दी है; इसके अनुसार 18 वर्ष की आयु के भीतर का कोई भी व्यक्ति बच्चा माना जाएगा।
- यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा होगा।

समाधान:

बाल श्रम के खतरे को समाप्त करने के लिए बाल श्रम (संशोधन) विधेयक, वर्ष 2012 को पारित किये जाने की आवश्यकता है।

- 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए बाल श्रम का निषेध होना चाहिए।
- किसी बच्चे को बाल श्रम के निकृष्टतम प्रकारों जैसे भिक्षावृत्ति तथा वैश्यावृत्ति में नहीं लगाया जाना चाहिए।
- अर्थ-दण्ड की राशि तथा कारागार की अवधि में वृद्धि।
- प्रवर्तन एजेंसी के कर्मचारियों को भी उनके क्षेत्राधिकार में बच्चों के कार्यरत पाए जाने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।
- बाल श्रम को एक संज्ञेय तथा गैर-जमानती अपराध बनाया जाना चाहिए।
- पुनर्सुधार को कानून का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।
- बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों से निपटने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ.एल.ओ.) अभिसमय को अंगीकार करना चाहिए।

बच्चों की आयुसीमा के संबंध में एकसमान परिभाषा गढ़े जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में, विभिन्न कानूनों में बच्चे को परिभाषित करने के लिए अलग-अलग आयु सीमा का प्रावधान है।

किशोर अपराधों के मूल कारणों, जैसे निर्धनता, टूटे हुए परिवार, अश्लील साहित्य की अनियंत्रित उपलब्धता तथा बाल-संरक्षण प्रणाली

की असफलता को प्रभावी उपायों की सहायता से दूर किया जाना चाहिए।

सरकार की "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" योजना (लैंगिक असंतुलन तथा बालिकाओं के विरुद्ध भेद-भाव से निपटने के लिए) सही दिशा में किया गया प्रयास हैं।

बाल संरक्षण तंत्र को और अधिक संख्या में ग्राम बाल समितियों (वी.सी.सी.) के द्वारा सशक्त बनाया जाना चाहिए जहां बच्चे चर्चाओं में भाग लेते हैं तथा उन्हें उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कानून:

- यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराधों तथा बच्चों के यौन शोषण की समस्याओं के निपटारे के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पी.ओ.सी.एस.ओ.) अधिनियम, 2012 की व्यवस्था है।
- बाल श्रम (निषेध तथा संरक्षण) अधिनियम, 1986
- फैक्टरी अधिनियम, 1948
- अनैतिक तस्करी (बचाव) अधिनियम, 1956
- किशोर या नाबालिग न्याय (बच्चों की देख-भाल तथा संरक्षण) अधिनियम, 2010
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 इत्यादि।

बाल संरक्षण तथा विकास हेतु सरकारी पहलें

बाल अधिकारों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) – आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम, तथा प्रशासनिक व्यवस्थाएं, भारत के संविधान के आदर्शों के अनुरूप हों। बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के संधिपत्र में निहित बाल अधिकारों से संगत होना चाहिए।

- 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी दशा में सुधार लाना।
- बच्चे के उपयुक्त मनोवैज्ञानिक, भौतिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना।
- मृत्यु अनुपात, रुग्णता, कुपोषण तथा विद्यालय छोड़ देने की घटनाओं में कमी लाना।
- महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में सामान्य सहायता राशि योजना
- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)
- इसका लक्ष्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए संरक्षक वातावरण निर्मित करना है।
- इस योजना में प्रभावी रणनीतियों को क्रियान्वित करने तथा उनके परिणामों की निगरानी के लिए एक बाल संरक्षण आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की जायेगी।
- **किशोरी शक्ति योजना**
- **आरंभिक बाल्यावस्था बाल शिक्षा नीति**
- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल इत्यादि**

दवा मूल्य निर्धारण नीति

- हाल ही में सरकार ने दवाओं के मूल्यों और विशेषत: बाजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए। फॉर्मूले पर दृष्टि रखने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है ।
- इस समिति में, औद्योगिक नीति एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) तथा औषधि विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।
- यह समिति औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डी.पी.सी.ओ.) वर्ष 2013 का पुनर्मूल्यांकन करेगी।

पृष्ठभूमि

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डी.पी.सी.ओ.) 2013

- डी.पी.सी.ओ. (वर्ष 2013) मई 2013 में लागू किया गया जिसका लक्ष्य पूरे देश में आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा मूल-भूत दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। इसकी अधिसूचना रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के औषधीय विभाग के द्वारा जारी की गयी थी।
- यह राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) को 348 आवश्यक दवाओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए अधिकार प्रदान करता है।
- इस नियम के अनुसार आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एन.एल.ई.एम.) में विनिर्दिष्ट शक्तियां तथा मात्रा मूल्य निर्धारण के अंतर्गत आयेंगें।
- पूर्व में डी.पी.सी.ओ. आदेश (वर्ष 1995) उत्पादन की लागत के आधार पर दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण करते थे, किन्तु अब इस आदेश में नियंत्रण मूल्य को बाजार मूल्यों पर आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली के आधार पर तय किया जाएगा।

वर्ष 2003: बाल श्रम पर रोक लगाने तथा बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा उठाये गए कदमों की चर्चा करें।

वर्ष 2005: भारत में लावारिस बच्चों का पुनरुद्धार।

वर्ष 2006: भारत में बाल श्रम के उन्मूलन के कौन से सामाजिक तथा आर्थिक परिणाम होंगें ?

वर्ष 2012: संघीय मंत्रालय ने हाल ही में बाल श्रम (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 को नया नाम देने तथा उसमें संशोधन करने के प्रस्ताव पर सहमति दी। प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

औषधीय मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- 15 जुलाई, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण नीति, 2012 तथा औषधीय मूल्य नियंत्रण आदेश (डी. आर.सी.ओ.) 2013 को "अनुचित तथा अतार्किक" बताया।
- शीर्ष न्यायालय ने संघीय सरकार से छ: महीने के भीतर उसकी बाजार आधारित औषधीय मूल्य निर्धारण नीति का पुनर्मूल्यांकन करने को कहा है।
- न्यायालय अखिल भारतीय औषधीय कार्यवाही नेटवर्क नामक एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उक्त संस्था का आरोप था कि बाजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली (एम.बी.पी.) का प्रयोग कभी भी किसी मूल्य नियंत्रण के उद्देश्य से नहीं किया गया था, तथा इससे दवाएं महंगी हो रही हैं।

औषधीय मूल्य निर्धारण नीति से संबंधित मुद्दे:

- कुल अनिवार्य दवाओं का केवल 35 प्रतिशत ही सामान्य लोगों की पहुच में हैं।
- दवा उत्पादकों तथा डीलरों के लिए लाभ का अंतर 10 से 1300 प्रतिशत था।
- अनिवार्य दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एन.एल.ई.एम.) में केवल 348 दवाएं सम्मिलित थीं तथा बहुत सी अनिवार्य दवाएं मूल्य नियंत्रण से बाहर रह गयी थीं।
- एच.आई.वी.-ए.आई.डी.एस., कैंसर, मधुमेह तथा क्षय रोग जैसी बीमारियों के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य, दमा, रियुमेंटोइड आर्थराइटिस जैसी असंक्रामक बीमारियों से संबंधित जीवन रक्षक दवाओं को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एन.एल.ई.एम.) में सम्मिलित करने की मांग है ।
- बहुत से मामलों में सामान्य औसत उच्चतम मूल्य सीमाएं बाजार में प्रचलित मूल्यों से अधिक थीं जिस कारण मूल्य नियंत्रण अप्रभावी तथा प्रतिकूल सिद्ध हुए।
- मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी दवाओं के बाजार मूल्य एकत्र नहीं किये गए थे।
- किसी दवा की सभी मात्राएँ इसमें सम्मिलित नहीं थी ।
- इसमें दवाओं के मिश्रण को सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए यदि एक मूल्य नियंत्रित दवा को किसी मूल्य नियंत्रण से बाहर की दवा के साथ निश्रित किया जाता है तो यह मूल्य नियंत्रण की परिधि से बाहर आ जाएगा।
- औषधीय मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.)का आदेश न मानने वाली कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।
- 90 प्रतिशत जेनरिक दवाइयां चिकित्सकों द्वारा नहीं लिखी जा रही है, इसलिए जन औषधि जैसे कार्यक्रमों की परिकल्पना उपयुक्त नहीं प्रतीत होती है।
- वितरण नेटवर्कों में व्याप्त भ्रष्टाचार जिसके लिए इन्डियन मेडिकल एसोसिएशन (आई. एम. ए .) तथा औषधि विक्रेताओं के निकाय मुख्यत: उत्तरदायी हैं।

समाधान:

- ब्राज़ील जैसे देश नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध कराते हैं तथा भारत भी उत्तरोत्तर इसी मार्ग का अनुसरण कर सकता है।
- तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में सार्वजनिक खरीद की एक प्रक्रिया अपनायी गयी है (नि:शुल्क चिकित्सा प्रणाली) । इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर उपचार करा रहे लोगों के लिए आवश्यक दवाओं की नि:शुल्क उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। यह अत्यंत प्रभावी प्रणाली है तथा इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक व्यवस्था को सशक्त बनाने की और अधिक आवश्यकता (लोगों का विश्वास जीतने के लिए सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता) है।
- चिकित्सकों, परिचारिकाओं तथा नए कर्मियों की कमी के कारण संसाधनों में वृद्धि की और अधिक आवश्यकता है।

सी.एस.ई. 2013: नियत खुराक वाली दवाओं के मेल या मिश्रण (एफ़.डी.सी.) से आप क्या समझते हैं? उनके सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं की चर्चा करें।

नागरिक उड्डयन नीति का प्रारूप

- भारतीय उड्डयन क्षेत्रक में वांछित प्रगति देखने को नहीं मिली है। वर्तमान में इसका विश्व में 10वाँ स्थान है।
- उड्डयन क्षेत्रक की विकासात्मक क्षमता में कई गुना वृद्धि कर देती है । एक आई.सी.ए.ओ. के अध्ययन के अनुसार, आउटपुट गुणक तथा रोजगार गुणक प्रभाव क्रमश: 3.25 तथा 6.10 होते हैं।
- सरकार का लक्ष्य उड्डयन से सम्बंधित क्षेत्रों कें जैसे विमान कंपनियों, हवाई अड्डों, माल, रख-रखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉल सेवाओं, सामान्य उड़ान, विमान निर्माण तकनीकि तथा उत्पादन, कौशल विकास, इत्यादि के लिए एक परितंत्र तथा समान अवसर प्रदान करने वाला क्षेत्र उपलब्ध कराना है।

इस नीति के लक्ष्य:

1. प्रौद्योगिकी तथा प्रभावी निगरानी व्यवस्था की सहायता से सुरक्षित, संरक्षित तथा दीर्घकालिक उड्डयन उद्योग का विकास सुनिश्चित करना।

2. वित्तीय सहायता तथा अवसंरचना प्रदान कर क्षेत्रीय संयोजन में वृद्धि करना।

3. विनियमन, सरलीकृत प्रक्रियाओं तथा ई-शासन के द्वारा व्यवसाय करने की प्रक्रिया को और सरल बनाना।

4. सम्पूर्ण उड्डयन क्षेत्रक श्रृंखला: माल भार, रख-रखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉल जैसी सुविधाएं निर्मित करना है |इसके अतिरिक्त सामान्य उड्डयन, विमान निर्माण तथा इनकी व्यावसायिक बिक्री को बढ़ावा देना नीति का प्रमुख उद्देश्य है |

इस नीति की मुख्य विशेषताएं:

सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को सहन नहीं किया जाएगा।

- उड्डयन संबंधी सभी कारोबारों, पूछ-ताछ तथा शिकायतों के लिए एकल-विंडो प्रणाली।
- वायु यातायात नियंत्रक महानिदेशक (डी.जी.सी.ए.) को अर्थ-दण्ड प्रदान करने का अधिकार रहेगा।
- भर्ती संबंधी नियमों में ढील दी गयी है।
- क्षेत्रीय संयोजकता योजना।
- लाभ अर्जित कर रही कंपनी भारतीय विमान तल प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के द्वारा 50 करोड़ रुपये से कम में हवाई पट्टियों का आवश्यक और सामान्य सुविधाओं वाले हवाई अड्डों के रूप में पुनरुत्थान किया जाएगा।
- देश से बाहर की उड़ानों के लिए सरकार इस प्रस्ताव पर चर्चा (विचार व्यक्त करने का) का आमंत्रण देती है कि विमान सेवा कंपनियों के लिए निर्धारित मानक , पांच वर्ष का उड्डयन रिकॉर्ड तथा बेड़े में 20 विमानों की अनिवार्य संख्या के स्थान पर प्रति वर्ष 300 घरेलू उड़ानों को मानक मानना कितना उपयुक्त होगा |सार्क देशों के साथ परस्पर 'मुक्त आकाश' वायु सेवा समझौता।
- यदि सरकार 5,000 किलोमीटर की त्रिज्या में आने वाले देशों के लिए मुक्त आकाश समझौते का निर्णय लेती है तो विमान सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत से अधिक करने के प्रस्ताव पर छान-बीन की जायेगी।
- भारत में रख-रखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉल (एम.आर.ओ.) प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार निम्नलिखित का प्रस्ताव करती है:

a. विदेशी रखरखाव मरम्मत और संचालन (एम.आर.ओ.) प्रक्रियाओं पर सेवा कर को शून्य कर दिया जाएगा।

b. विमानों के रख-रखाव से संबंधित औजारों तथा उपकरण समूहों को सीमा शुल्क से मुक्त रखा जाएगा।

c. विदेशी रखरखाव मरम्मत और संचालन (एम.आर.ओ.) प्रक्रिया विशेषज्ञों को तत्परतापूर्वक वीजा प्रदान किया जाएगा।

अप्रैल 1, 2016 से हेलीकॉप्टरों के लिए पृथक नियम बनाए जायेंगे।

- नए भागीदारों के आसान प्रवेश के लिए पात्रता संबंधी शर्तों में ढील दी जायेगी।
- गैर-वैमानिक राजस्व के 30 प्रतिशत हिस्से का प्रयोग वैमानिक शुल्कों के सन्दर्भ में सहायकी प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय इस बात को सुनिश्चित करेंगें कि व्यावसायिक वैमानिक-निर्माण को प्रतिरक्षा समायोजन आवश्यकताओं के अंतर्गत रखा जाए।
- सरकार भारत में विमान असेम्बली कारखाना स्थापित करने के लिए वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (ओ.ई.एम.) के साथ समझौता करेगी।

सुर्खियों में क्यों?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एम.ओ.सी.ए.) ने एक नवीन ड्राफ्ट 'नागरिक उड्डयन नीति', वर्ष 2015 सामने रखा है। मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए तीन सप्ताह नियत किये हैं। इस नीति की परिकल्पना एक ऐसा पारितंत्र तैयार करना है जो वर्ष 2022 तक 30 करोड़ घरेलू टिकटिंग कर पाने में समर्थ हो सके। इस आधार पर वर्ष 2014-15 में 7 करोड़ टिकटों की बिक्री हुई । इस नीति के मिशन वक्तव्य में भारत तथा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित, संरक्षित, सस्ती तथा यात्रा के साधन के रूप में वायु यात्रा को सहज बनाने का दृष्टिकोण सम्मिलित है।

एन.सी.ए.पी. वर्ष 2015 में निम्नलिखित नीतिगत मुद्दों को समाहित किया गया है:

(a) सुरक्षा; (b) क्षेत्रीय संयोजकता; (c) 5/20 नियम; (d) द्विपक्षीय यातायात अधिकार; (e) कोड-भागीदारी अनुबंध; (f) रख-रखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉल; (g) मार्ग वितरण संबंधी दिशा-निर्देश; (h) वित्तीय सहायता; (i) हेलीकॉप्टर; (j) निर्धारित यात्री विमान सेवा कम्पनियां; (k) हवाई अड्डों का राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र या सार्वजनिक-निजी क्षेत्र सहभागिता प्रणाली का विकास; (l) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; (m) वायु परिवहन सेवाएं; (n) वायु मालभार; (o) वैमानिक 'मेक इन इंडिया'; (p)यथार्थ स्थितियों पर आधारित प्रबंधन; (q) दीर्घ-कालिक उड्डयन; (r) उड्डयन संबंधी सुरक्षा, आप्रवासन तथा सीमा शुल्क; (s) गौण राजस्व; (t) आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम, 1968; (u) उड्डयन शिक्षा तथा कौशल विकास; (v) चार्टर अभियान।

विमान सेवा कंपनियों को छूट का प्रस्ताव देकर तथा क्षेत्रीय मार्गों पर उड़ान के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र ने उन्हें एक क्षेत्रीय संबद्धता योजना के अंतर्गत निम्न सुविधाए प्रस्तावित की है ।

- इस योजना के अंतर्गत सुदूर मार्गों पर एक घंटे की उड़ान के लिए 2,500 रुपये की भाड़ा-सीमा निर्धारण को समाविष्ट किया गया है।
- केंद्र विमान सेवा कंपनियों को हुई क्षति के 80 प्रतिशत की पूर्ति करेगा जबकि शेष राज्यों से क्षेत्रीय संयोजकता निधि (आर.सी.एफ़.) में वायेबिलिटी गैप फंडिंग (वी.जी.एफ.) का प्रयोग कर प्राप्त किया जाएगा।
- आर.सी.एफ. की स्थापना घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय वायु-यात्रा टिकटों पर दो प्रतिशत उपकर लगाकर की जायेगी।
- कमतर सुविधाओं वाले क्षेत्रीय हवाई अड्डों के लिए राज्य कई प्रकार की सुविधाएं जैसे नि:शुल्क भूमि, विद्युत, जल तथा अन्य उपयोगी सुविधाओं को न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराएगा | विमानों के ईंधन पर एक प्रतिशत या उससे भी कम की दर पर कर लगाया जायेगा ।
- केंद्र क्षेत्रीय मार्गों के लिए जारी टिकटों पर सेवा कर समाप्त कर देगा तथा ऐसे हवाई अड्डों से विमान सेवाओं द्वारा लिए गए ईंधन पर उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा।
- ये सुविधाएं या छूट 100 या उससे कम सीटों वाले विमानों का उपयोग करने वाली यात्री विमान सेवा कंपनियों को उपलब्ध कराई जायेगी।

आलोचना:

- प्रारूप में एयर इंडिया के भविष्य का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय वायु सेवा पर सरकार के स्वामित्व के कारण नीतिगत निर्णयों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा इससे भारतीय करदाताओं पर अरबों डॉलर का बोझ पड़ा है। सरकार की नीतियों के संबंध में स्पष्टता के अभाव का इस उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
- विमान सेवा प्रदाता कंपनियों के समक्ष प्रस्तुत नकारात्मक वित्तीय वातावरण - जैसे वायुयान ईंधन (ए.टी.एफ़.) पर बिक्री कर, किराए पर सेवा कर, हवाई अड्डों के शुल्क, तथा विमानों की लीज पर आरोपित कर, इत्यादि को कम करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए था| इसके अतिरिक्त, दो निर्णयों की विशेष रूप से आलोचना हुई है:

1. क्षेत्रीय संबद्धता योजना:

- विशेषज्ञों ने इस नीति में स्पष्टता के अभाव पर प्रश्न उठाये हैं। यह ज्ञात नहीं है कि वर्तमान में क्षेत्रीय विमान सेवा परमिट धारकों को क्षेत्रीय संबद्धता योजना के तहत वे लाभ प्राप्त होंगें या नहीं।
- इस कदम से क्षेत्रीय मार्गों पर टिकट के मूल्यों की सीमा तय हो जायेगी। हालांकि सरकारी हस्तक्षेप तथा मूल्य नियंत्रण को देखते हुए विमान सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए यह नकारात्मक सिद्ध हो सकता है।
- इस नीति से राष्ट्रीय विमान सेवाओं की अपेक्षा क्षेत्रीय विमान सेवाओं को अधिक लाभ होगा, जिन्हें बदले में संचालन के मोर्चे की अपेक्षा अवसंरचना तथा पूँजी संबंधी आवश्यकता के बिन्दुओं पर अधिक सहायता की आवश्यकता होगी।
- यह एक क्षेत्र से प्राप्त लाभ का दूसरे क्षेत्र के विकास के लिए प्रयोग करने (क्रॉस-सब्सीडाइजेशन)का एक अन्य मामला है जिसमें एक बड़े नगर से दूसरे बड़े नगर को उड़ान भरने वाले छोटे शहरों के अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए संबद्धता के नाम पर भुगतान करेंगें।
- सरकार द्वारा सब्सिडी बिलों को कम करने की चेष्टा के परिप्रेक्ष्य में यह कदम मार्ग पर पीछे हटने जैसा प्रतीत होता है।

5/20 नियम:

- इस नीति में 5/20 नियम (जिसके अंतर्गत स्थानीय विमान सेवा कम्पनियां देश से बाहर उड़ान सेवायें तभी दे सकती हैं जब उनके पास 5 वर्ष का उड़ान अनुभव तथा उनके बेड़े में कम से कम 20 हवाई जहाज हों) के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सरकार ने इस संबंध में हितधारकों से और टिप्पणियाँ माँगी है।
- इस नीति में अब तीन विकल्प प्रस्तावित किये गए हैं – इस मानदण्ड को पूरी तरह हटाया जाए, जारी रखा जाए या देश से बाहर उड़ान के अधिकारों को घरेलू-उड़ान अनुभवों से जोड़ दिया जाए।
- नई विमान कंपनियों जैसे विस्तारा या एयर-एशिया इण्डिया जैसी विमान सेवायें 5/20 नियम के उन्मूलन की मांग करती रही हैं।

लाभ:

- यह नीति व्यापक रूप से सुधारवादी है तथा निम्न लागत पर हवाई अड्डों के निर्माण से उड्डयन क्षेत्र में अधिक लागत-क्षमता उत्पन्न होगी।
- रखरखाव मरम्मत संचालन संकल्पना (एम.आर.ओ.) के प्रति कटिबद्धता तथा दूरदृष्टि, निम्न लागत वाली विमान सेवा, हवाई अड्डों से संबंधी बुनियादी सुविधाएं इस क्षेत्र के विकास में सहायक होंगीं | भूमि प्रबंधन संबंधी पहल, कर संबंधित उपायों, वहनीय टैरिफ संतुलन आदि हवाई यात्रा को बढ़ावा देंगें तथा उद्योग के स्थायी विकास को प्रोत्साहित करेंगें।
- क्षेत्रीय जुड़ाव, छोटे शहरों में निर्मित हवाई अड्डे विमान सेवा प्रदाता कंपनियों को भौगोलिक रूप से अपनी पहुँच बढ़ाने में सहायता करेंगे।

योजना के प्रारूप इस क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार करने तथा उपयुक्त

दिशा प्रदान करने की इच्छा शक्ति का संकेत मिलता है।

एस.बी. उपकर

स्वच्छ भारत उपकर एक अतिरिक्त कर होगा जिस कारण प्रभावी सेवा कर दर वर्तमान में 14 प्रतिशत से बढ़ कर 14.05 प्रतिशत हो जाएगा।

वर्ष 2015-16 के बजट में, सरकार ने 2.09 लाख करोड़ से अधिक सेवा कर की उगाही का लक्ष्य रखा है। अनुमान है कि स्वच्छ भारत उपकर से 400 करोड़ रुपये प्राप्त होंगें।

लाभ:

स्वच्छता के अभाव के कारण मलेरिया, डेंगू, डायरिया, पीलिया, हैजा आदि बीमारियाँ होती हैं ।

उपकर वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत सेवा कर की दर में आकस्मिक वृद्धि के लिए आधार तैयार करता है। जी.एस.टी. से करारोपण की समग्र घटना को कम करने में सहायता मिलेगी, किन्तु सेवाओं पर लगने वाले कर की दर को अनिवार्य रूप से बढ़ाना होगा।

उपकर का अत्यधिक प्रयोग:

हाल ही में सरकार ने दो नए उपकरों (स्वच्छ भारत अभियान के लिए सभी सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत उपकर तथा क्षेत्रीय संयोजकता निधि (आर.सी.एफ.) के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं तथा मेट्रो या बड़े शहरों के बीच होने वाली उड़ानों पर 2 प्रतिशत उपकर) की घोषणा की। ये दो नए उपकर उच्च-शिक्षा उपकर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर जैसे अनगिनत उपकरों में और वृद्धि ही करते हैं।

उपकरों के अतिप्रयोग की आलोचना:

- उपकर के प्रयोग की प्रकृति प्रत्यावर्ती(regressive) होती है। इससे करदाताओं के निर्धनतम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
- उपकर तथा सरचार्ज जैसे साधनों का प्रयोग कर प्रणाली को और जटिल बना देता है जिससे कर-चोरी की घटनाएं बढ़ती हैं।
- चूँकि उपकरों को अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष करों के समूह पर आरोपित किया जाता है, उनसे प्रत्यक्षत: देश में व्यवसाय करने की लागत बढ़ जाती है।
- किसी उपकर या सरचार्ज से प्राप्त राजस्व को केंद्र तथा राज्य के बीच विभाजित लाभ-कोष (अनुच्छेद 270) से पृथक होता है, इसलिए यह सहकारी संघवाद के विरुद्ध है।
- इससे प्राथमिक कर राजस्व के प्रभावी उपयोग पर प्रश्न खड़ा होता है।
- उपकर के माध्यम से किये गए संचय के समान परिणाम नहीं प्राप्त होते, उदाहरण के लिए सड़क उपकर का अर्थ होता है प्रति वर्ष 23,000 करोड़ रुपये, किन्तु इसके परिणाम सड़क संबंधी अधोसंरचना के रूप में समान रूप में परिलक्षित नहीं होते। सी.ए.जी. ने इस बात की ओर संकेत किया है कि पैसे के व्यय किये जाने के तरीके से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी खाते में अपर्याप्त पारदर्शिता तथा अपूर्ण रिपोर्टिंग है।
- इसके अतिरिक्त, उपकर शायद ही वांछित ढंग से (किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियत अस्थायी कर के रूप में) कार्य करते हैं एक बार आरोपित किये जाने के बाद उन्हें संशोधित किया, बढाया तथा इधर-उधर स्थानांतरित किया जाता है, किन्तु उन्हें कदाचित ही कभी बंद किया जाता है। पथ उपकर वर्ष 1998-99 से लागू हैं तथा शिक्षा उपकर ने हाल ही में एक दशक पूरा किया है।

समाधान:

- सरकार को राजस्व बढ़ाने तथा नयी योजनाओं के लिए निधि जुटाने के लिए कर का आधार बढ़ाने तथा कर-संरचना को सरल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। वर्ष 2009 के प्रत्यक्ष कर कोड तथा वर्ष 2014 के आर्थिक सर्वेक्षण, दोनों में इस बात की अनुशंसा की गयी है कि सरकारों को बुरे करों यथा उपकरों तथा सरचार्जों को समाप्त करना चाहिए।
- स्वच्छ भारत उपकर में संस्थागत संरचना (जिसके अंतर्गत संसाधनों को व्यय किया जाना है) को लेकर स्पष्टता का अभाव है। किसी उपकर के प्रभावी होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इसके लिए उचित रूप से स्पष्टता का घेरा बनाया जाय कि उपकर के अंतर्गत एकत्रित धन का उपयोग कैसे किया जाएगा।
- स्वच्छ भारत जैसी पहलों के लिए उपकर लगाया जाना इससे नैतिक बढ़त समाप्त हो जाता है; इसके बदले आरंभिक स्तर के पहलों (जैसे द्वार-द्वार जाकर कूड़ा इकट्ठा करना) के माध्यम से लोगों को बेहतर नागरिक बोध प्रदान किया जाये।

सी.एस.इ. वर्ष 2013: 10. भारत में वस्तु और सेवा कर लागू करने के औचित्य पर चर्चा करें। इस व्यवस्था के आरम्भ में होने वाली देरी का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

स्व-प्रमाणन

पृष्ठभूमि:

- प्रक्रियाओं में सरलता लाने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.)ने स्व-प्रमाणन के प्रावधानों को अपनाने की अनुशंसा की है।
- शपथ-पत्रों को तर्क-संगत बनाने की प्रक्रिया पहली बार वर्ष 2010 में पंजाब में आरम्भ की गयी जिसका लक्ष्य नागरिकों में विश्वास स्थापित करना तथा स्व-सत्यापन की वयवस्था को बढ़ावा देने के लिए शपथ-पत्रों के प्रयोग की व्यवस्था को समाप्त करना था ।
- प्रधानमंत्री ने इस अभियान को प्रेरणा प्रदान की तथा अन्य राज्य सरकारों जैसे गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोआ ने पंजाब के इस दृष्टांत का अनुसरण किया है।

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली मंत्रीमंडल ने राशन कार्ड, आय तथा जाति-प्रमाणपत्र तथा बिजली के कनेक्शन सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं के उपयोग हेतु आवश्यक वर्ष 200 से अधिक शपथ-पत्रों को समाप्त करने की अनुमति दी है।

लाभ:

- शपथ-पत्रों के कारण नागरिकों को अनावश्यक व्यय करना पड़ता है । जैसे स्टैम्प पेपर खरीदना, दस्तावेज़ लेखक का पता लगाना, सत्यापन के लिए नोटरी को किया गया भुगतान तथा इन प्रक्रियाओं में व्यय हुआ समय तथा प्रयास।
- भारत में नागरिकों को इससे लगभग 8,000 करोड़ रुपये की कुल बचत हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त, इन दस्तावेजों के सत्यापन में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया व्यर्त समय अन्य सार्थक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है ।

कानूनी निहितार्थ:

- जहां तक दस्तावेजों की स्वीकार्यता का प्रश्न है, शपथ-पत्रों का स्व-घोषणा से अधिक महत्व नहीं है।
- शपथ-पत्र एक घोषणा होती है और वैसे तो स्वयं घोषणा ही कानूनी उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है। प्रार्थी दिए गए कथन के लिए उत्तरदायी बना रहता है।
- इस प्रथा को अपनाने में कोई कानूनी बाधा नहीं प्रतीत होती। भारतीय दण्ड संहिता में ऐसी बहुत सी धाराएं हैं जैसे 177, 193, 197, 198, 199 तथा 200 जिनंमे साक्षी के किसी भी गलत जानकारी/प्रमाण/ उदघाटन /घोषणा के निहितार्थों के बारे में बताया गया है।

पैतृक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार

- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, वर्ष 1956 में मूलत: बेटियों को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान नहीं किया गया था।
- वे एक संयुक्त हिन्दू परिवार में केवल भरण-पोषण का अधिकार ही मांग सकती थीं। किन्तु इस असमानता को 9 सितम्बर, 2005 में एक संशोधन द्वारा दूर किया गया।
- इस फैसले में संपत्ति में समान हिस्सेदारी की मांग करती हुई महिलाओं के अधिकार के लिए संशोधन के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है।

सुर्ख़ियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हिन्दू विधि में वर्ष 2005 में किया गया संशोधन, संशोधन के लागू होने के पूर्व पिता की मृत्यु हो जाने की दशा में पुत्री को संपत्ति का अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

उत्तराधिकार के लिए महिलाओं को प्राप्त अधिकार की सीमाएं निम्नलिखित हैं:

1. विधेयक को प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही संपत्ति के हस्तांतरित हो जाने की दशा में वे संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकतीं।
2. एक सामाजिक विधान होने के कारण संशोधित प्रावधानों के भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकते। यह अनिवार्य है कि संशोधन के लागू होते समय पिता जीवित हों।

महिलाओं के भूमि संबंधी अधिकार क्यों महत्वपूर्ण हैं?

आर्थिक सुरक्षा: निर्धन ग्रामीण समुदायों में भूमि एक महत्वपूर्ण आर्थिक परिसंपत्ति है: कृषि कार्य का मुख्य आधार है। पूंजी की प्राप्ति के लिए इसे जमानत के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। भूमि को किराए पर देने या बेचे जाने की स्थिति में यह प्रत्यक्ष रूप से आय का सृजन कर सकता है। महिलाओं को पति के काम के सिलसिले में बाहर प्रवास, परित्याग या दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उनके घर का मुखिया बनने की दशा में भूमि, उम्र बढ़ने के साथ-साथ उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है।

सामाजिक सुरक्षा: इस अवधारणा के अंतर्गत भूमि एक मूल्यवान परिसंपत्ति है। यह समुदाय में महिलाओं की दशा को उन्नत बना सकती है तथा यह महिलाओं को उत्पादक के रूप में पहचान देने तथा परिवारों व समुदाय में एक योग्य सदस्य के रूप में स्थापित करने में महिलाओं की सहायता कर सकती है। उनके परिवारों या समुदायों के सामाजिक सुरक्षा के औपचारिक स्रोतों से वंचित रहने तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओ के अभाव की दशा में भूमि का सुरक्षित अधिकार महिलाओं के लिए विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है।

महिलाओं के भूमि संबंधी अधिकारों तथा वांछित सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के बीच संबंध:

- महिलाओं के दीर्घ-कालिक शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक घरेलू हिंसा का सामना करने की संभावना कम होती है।
- उनके परिवार में पोषण के स्तर में सुधार होने की संभावना रहती है।
- उनके बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार होने की संभावना रहती है।
- उनकी प्रजनन क्षमता में कमी आने की संभावना रहती है, तथा
- उनके घर के निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होती है ।

सी.एस.इ. वर्ष 2005: निम्नलिखित पर लघु टिप्पणियाँ लिखें: (a) पैतृक संपत्ति में महिलाओं के लिए समान अधिकार।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध: भारत एंव विश्व

भारत-अफगानिस्तान संबंध

द्विपक्षीय संबंध:

- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर भारत और अफगानिस्तान के मध्य मजबूत संबंध हैं।
- हाल ही में, दोनों देशों के बीच वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित रणनीतिक साझेदारी समझौतों से भारत-अफगान संबंधों में और अधिक मजबूती आयी है।
- वर्ष 2014 में जब अफगानिस्तान स्वयं को समकालिक राजनैतिक, सुरक्षा संबंधी और आर्थिक संक्रमणों के लिए तैयार कर रहा था, भारत ने अफगानिस्तान की सुरक्षा और विकास के संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से अफगानिस्तान का मार्ग प्रशस्त कर दिया ।

समाचारो में क्यों:

- 13 नवम्बर को नई दिल्ली आए अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हनीफ अतमार ने भारत से तालिबान के फिर से सशक्त होने के परिदृश्य में अफगानी सेना के लिए मारक शस्त्रों की आपूर्ति बढ़ाने का आग्रह किया। तालिबान अब तक 4000 से अधिक सैनिकों की जान ले चुका है और इसके कारण बड़े भू-भाग पर सरकार का नियंत्रण समाप्त हो गया है।

पृष्ठभूमि:

- भारत ने वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित रणनीतिक भागीदारी समझौते में ''अफगानी सुरक्षा बलों हेतु प्रशिक्षण के साथ-साथ उपकरण उपलब्ध कराने और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों'' में सहयोग करने का वादा किया था।
- पाकिस्तानी सैन्य दस्तों और तालिबान के साथ झड़पों की श्रृंखला के बाद वर्ष 2011 से अफगानी सैन्य कमांडर और खुफिया अधिकारी भारत से अपने देश के अनुभवहीन सैन्य बलों को प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग प्रदान करने का अनुरोध कर रहे हैं।
- हालांकि पूर्ववर्ती सरकार ने सैन्य साजो-सामान के अफगानी अनुरोधों को पाकिस्तान के साथ अपनी शान्ति वार्ता की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ने के भय से टाल दिया था।

भारत की चिंताएँ:

- भारत को इस बात का भय है कि अफगानिस्तान के साथ सैन्य संबंधों को बढ़ाने हेतु विवश होने से पाकिस्तान कुपित हो सकता है क्योंकि वह लंबे समय से इस बात की चिंता जताता रहा है कि भारत के द्वारा अफगानिस्तान का प्रयोग पाकिस्तान के विरूद्ध आक्रामक अभियानों हेतु प्रयोग किया जा रहा है।
- पाकिस्तान ने पहले भी आरोप लगाए हैं कि भारत की खुफिया सेवाएँ बलूचिस्तान में अलगावादियों के साथ-साथ पाकिस्तान में संघर्ष करने वाले जिहादियों का समर्थन करने के लिए अफगानिस्तान का प्रयोग कर रही हैं।
- भारतीय शस्त्र उग्रवादी संगठनों के हाथों में पहुँचने की संभावना भी बनी हुई है। भारत के विरुद्ध इनका प्रयोग किये जाने की सम्भावना बनी रहेगी ।भारत भी अफगानिस्तान के वर्तमान शासन द्वारा चीन और पाकिस्तान और यहाँ तक कि तालिबान के प्रति भी अपनाए गए नरम रूख से प्रसन्न नहीं है।

सी.एस.ई. वर्ष 2013:18. वर्ष 2014 में अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग बल (आई.एस.ए.एफ.) की प्रस्तावित वापसी इस क्षेत्र के राष्ट्रों हेतु प्रमुख सुरक्षा निहितार्थों से भरी हुई है। इसे इस तथ्य के आालोक में परीक्षित कीजिए कि भारत विपुल मात्रा में चुनौतियों का सामना कर रहा है और इसे अपने रणनीतिक हितों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है।

आसियान- पारस्परिक व्यवहार पर घोषणा

पारस्परिक व्यवहार घोषणा(डी.ओ.सी.) की पृष्ठभूमि:

- अनेक वर्षों से दक्षिणी चीन सागर के किनारे स्थित देशों (वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया इत्यादि) के बीच दक्षिणी-चीन सागर संघर्ष का क्षेत्र बन गया है।
- इस विवाद का समाधान करने के लिए, अनेक वर्षों तक वार्ताओं के बाद नवम्बर 2002 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के सदस्यों और चीन के बीच पारस्परिक व्यवहार घोषणा (डी.ओ.सी.) पर हस्ताक्षर किए गए।
- आसियान और चीन के मध्य यह समझौता ''संबंधित देशों के बीच मतभेदों और विवादों के शान्तिपूर्ण और टिकाऊ समाधानों हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ विकसित करने के उद्देश्य पर आधारित है ।
- इस घोषणा में, आसियान और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून (सागरों के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को सम्मिलित करते हुए) के प्रति प्रतिबद्धता तथा दक्षिणी चीन सागर में नौपरिवहन की स्वतंत्रता की पुन: पुष्टि की है।
- सभी पक्षकार ''अपने प्रादेशिक और क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों को भय और बल का प्रयोग किए बिना शान्तिपूर्ण माध्यमों से समाधान'' करने हेतु भी सहमत हुए। इसके अतिरिक्त पक्षकार विवादों को जटिल करने या बढ़ा सकने वाली कार्रवाइयों में ''संयम बरतने के लिए'' भी सहमत हुए हैं।
- अनेक विश्लेषकों के दृष्टिकोण से पारस्परिक व्यवहार संबंधी घोषणा (डी.ओ.सी.) वस्तुत: कुछ न करने और विधिक रूप से बाध्यकारी समझौता करने की दो परिस्थितियों के बीच एक मध्यमार्ग है ।

समाचारों में क्यों:

- 4 नवम्बर 2015 को आसियान रक्षा मंत्रियों की तीसरी बैठक (ए.डी.एम.एम.-प्लस) में दक्षिणी चीन सागर में हाल की घटनाओं पर ध्यान देते हुए भारत ने चिंता व्यक्त की। भारत ने इस क्षेत्र में उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए पारस्परिक व्यवहार के नियमों को शीघ्र निर्धारित करने का आह्वान किया।
- भारत को आशा है कि दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र विवादों के सभी पक्षकार दक्षिणी-चीन सागर में पारस्परिक व्यवहार की वर्ष 2002 की घोषणा का अनुपालन करेंगे, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे और विवादों का शान्तिपूर्वक समाधान सुनिश्चित करने के लिए मिल-जुलकर कार्य करेंगे।

सी.एस.ई. वर्ष 2012: दक्षिणी चीन सागर से संलग्न भारतीय हित कौन से हैं ?

भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आई.ए.एफ.एस.)

द्विपक्षीय संबंध:

- भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आई.ए.एफ.एस.) अफ्रीका और भारत के बीच घनिष्ठ साझेदारी का उत्सव है।
- यह हमारे साझे इतिहास और साथ-ही-साथ हमारी भावी संभावनाओं की अभिस्वीकृति है। दोनों ही देशों का उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष का इतिहास रहा है। दृष्टव्य है कि वैश्वीकरण के इस युग में दोनों ही देशों के समक्ष नवीन चुनौतिया उभरी हैं।
- दोंनों अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, निर्धनता, रोग, अशिक्षा और भूख के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं। दोनों देश सामूहिक रूप से अपने लोगों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहित करते हैं। अत: यह विश्वास किया जाता है कि भारत और अफ्रीका एक जैसे मार्ग पर चल रहे हैं। दोनों देश समान मूल्यों को साझा करते हैं और एक जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं।

भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन वर्ष 2015:

- नई दिल्ली ने 26 से 29 अक्टूबर, 2015 तक आयोजित तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में इस महाद्वीप आए से 54 देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी की।
- ऐसा माना जाता है कि यह वर्ष 1983 के गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एन.ए.एम.) शिखर सम्मेलन के बाद भारत द्वारा आयोजित सर्वाधिक भव्य कार्यक्रम है। यह सम्मेलन भारत को इस महाद्वीप के साथ संबंधों को पुनर्जीवित करने हेतु अवसर प्रदान करता है।
- जबकि अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध एक सहस्राब्दि पुराने हैं। वर्ष 2008 में भारत ने अफ्रीका के साथ भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन प्रक्रिया के अंतर्गत एक निश्चित ढांचे के अनुसार आपसी संबधों को आकार देना प्रारम्भ किया ।
- वर्ष 2011 में अदीस अबाबा में हुए दूसरे शिखर सम्मेलन ने इस सहयोग को विस्तारित किया।
- वर्तमान शिखर सम्मेलन विकास साझेदारी, व्यापार और निवेश संबंधों तथा शान्ति और सुरक्षा के मुद्दों पर समान राय विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।
- शिखर सम्मेलन की भागीदारी और प्रारूप अफ्रीकी संघ आयोग और सदस्य राष्ट्रों के स्थायी प्रतिनिधियों के परामर्श से निर्धारित किए गए हैं। यह एक प्रक्रिया का आरम्भ है।
- इस विषय पर भी सहमति व्यक्त की गयी है कि शिखर सम्मलेन के पश्चात एक औपचारिक घोषणा पत्र तथा निर्धारित कार्य योजना का प्रारूप जारी किया जायेगा। कार्य योजना का प्रारूप निर्मित किया जा रहा है और सदस्य राष्ट्रों के बीच अफ्रीकी संघ आयोग द्वारा इसका प्रारूप वितरित किया गया है।
- दूसरा दस्तावेज एक घोषणा पत्र होगा, वह आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार संगठन के समझौतों को सम्मिलित करते हुए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग तथा समान दृष्टिकोण के विस्तृत क्षेत्रों को समाहित करेगा।
- इस कार्य योजना में दोनों पक्ष जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सहमत हुए हैं, उनमें मानव संसाधन और संस्थागत क्षमता निर्माण जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादकता व खाद्य सुरक्षा, छोटे व मध्यम उद्योगों तथा खनिजों के उपयोग संबंधी मुद्दे शामिल हैं। औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रक में विकास, अवसंरचना विकास, आई.सी.टी. एवं असैनिक नियंत्रण में पुलिस और रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ न्यायिक प्रणाली की स्थापना आदि महत्वपूर्ण मुद्दे सम्मिलित हैं।

भारत-अफ्रीका साझेदारी:

- भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ एक साझेदारी विकसित की है। यह विकास साझेदारी अनूठी है क्योंकि यह आपसी संवाद पर आधारित है और अफ्रीकी आवश्यकताओं पर आधारित है ।
- विकास प्रक्रिया आधारित साझेदारी का उद्देश्य अफ्रीका में मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
- भारत ने निर्यात-आयात बैंकों द्वारा क्रेडिट लाइन (ऋण प्रणालियों) के माध्यम से 7.4 बिलियन डॉलर की विकास सहायता में वृद्धि की है । इसमें से 6.8 बिलियन डॉलर स्वीकृत हो गयी है और लगभग आधी (3.5) बिलियन वितरित की जा चुकी है। इन क्रेडिट लाइन्स (ऋण प्रणालियों) के योगदान से अफ्रीका के 41 देशों में 137 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारत ने संपूर्ण महाद्वीप में लगभग 100 भारतीय अफ्रीकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का वचन भी दिया था।

- भारत और अफ्रीकी देश दोनों ही ऊर्जा के आधुनिक साधनों की उपलब्धता की भी समस्या है। लगभग दो-तिहाई अफ्रीका में आधुनिक ऊर्जा साधनों की उपलब्धता नहीं है। भारत अफ्रीका में सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं में संलग्न रहा है।
- मोजाम्बिक में भारत ने देश के पहले सौर पैनल उत्पादन कारखाने की स्थापना में सहयोग किया। इसके अतिरिक्त, उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न मोजाम्बिक के तकनीशियनों को भारत में प्रशिक्षित किया गया था।

चीन बनाम भारत - भारत की स्थिति को सशक्त करने वाले कारक

- अफ्रीकी महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों, जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक विकास के कारण तेजी से वैश्विक आकर्षण और प्रतिस्पर्धा का अगला केन्द्र बनता जा रहा है।
- इस अवसर का लाभ उठाने के लिए चीन आदि अनेक देशों ने इस महाद्वीप में विशाल मात्रा में निवेश किया है।

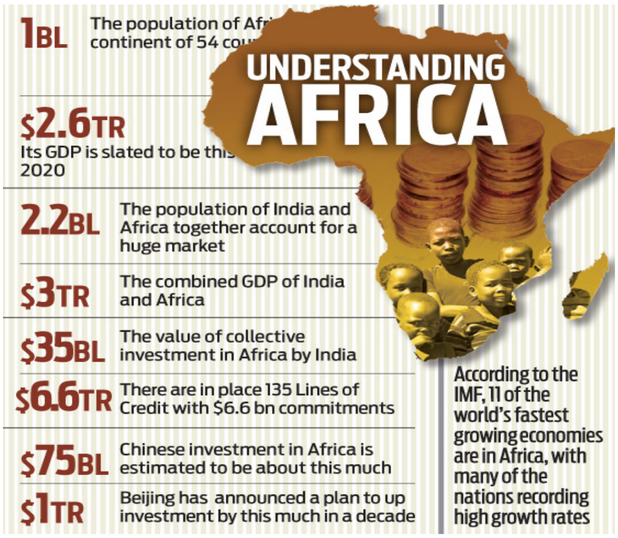

- अफ्रीकी नेताओं द्वारा प्रतिस्पर्धा का स्वागत किये जाने के कारण निरंतर बढ़ रही यह चीनी-भारतीय संबंधों में गहराई आर्थिक रूप से लाभप्रद रही है और व्यापक निवेश और विकास में परिणत हुई है।
- भारत और चीन के बीच नए बाजारों, कृषि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच के लिए निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा।
- यद्यपि चीन के आक्रामक आर्थिक दृष्टिकोण के कारण इसका किसी अन्य देश की तुलना में अफ्रीका पर अधिक प्रभाव पड़ा है तथापि इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती संलग्नता से इसका प्रभुत्व धीरे-धीरे कम हो रहा है।
- भारत ने जिम्बाबे , इथियोपिया और सूडान जैसे संसाधन-संपन्न देशों के साथ अपने व्यापार संबंधों का विकास करने के लिए अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को सशक्त बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया है।
- भारत की रणनीति की सफलता सूडान जैसे देशों में स्पष्ट हुई है, जहाँ भारतीय निगमों ने स्थानीय तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग पर लगभग संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है।
- जिम्बाम्बे में भी यही परिदृश्य है। वहां ऊर्जा और संसाधन क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को निजी और राज्य स्वामित्व वाले उद्योगों द्वारा चुनौती दी जा रही है।
- भारत के एस्सार समूह द्वारा जिम्बाबे की स्टील निर्माता कम्पनी जिकोस्टील का 4 बिलियन अमेरिकी डालर में अधिग्रहण को जिम्बाम्बे सरकार ने हाल के दशकों में जिम्बाबे में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सौदे के रूप में प्रशंसा की है।
- अफ्रीकी देश यह अनुभव कर रहे हैं कि यद्यपि चीनी निवेश आकर्षक हैं, किन्तु इनके साथ कुछ समस्यायें हैं, जैसे:
- चीनी कंपनियाँ स्थानीय लोगों के स्थान पर चीनी कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं।
- यह भी देखा गया है कि ये कम्पनियाँ पर्यावरण संरक्षण पर अधिक ध्यान नहीं देती हैं।
- चीनी ऋण केवल चीनी प्रौद्योगिकी अपनाए जाने की कठोर शर्तों के साथ आते हैं।
- इन चिंताओं को मुख्य रूप से नागरिक समुदाय द्वारा उठाया गया है। अनेक सरकारों ने भी चीन के विकल्पों की खोज आरम्भ कर दी है।
- भारत को इस अवसर का लाभ उठाने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक संबंधों और भारतीय कंपनियों द्वारा स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति करने और उनकी कुशलता का संबर्धन करने के कारण भारत को पहले से ही अफ्रीकी लोगों की सद्‌भावना प्राप्त है।

सी.एस.ई. 2014: प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध अफ्रीकी के आर्थिक परिदृश्य में भारत अपना स्थान कहां पाता है?

चीन के साथ नेपाल का ऊर्जा सौदा

- यह समझौता भारत द्वारा नेपाल के नए संविधान पर असंतोष तथा मधेशियों (मैथिली, भोजपुरी, अवधी और हिन्दी बोलने वाले नेपालियों) द्वारा भारत से संपर्क मार्गों की नाकाबंदी के परिदृश्य में संपन्न हुआ है।
- वे संसद में समानुपातिक प्रतिनिधित्व और उ.प्र. और बिहार के सीमावर्ती तराई के सभी 21 जिलों को सम्मिलित करने वाले पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं।

नेपाल के लिए इस सौदे का महत्व:

- चीन नेपाल को तत्काल 1.2 मिलियन लीटर केरोसीन की आपूर्ति करेगा।

- दो अलग-अलग समझौतों में चीन ने एक बार में 1000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पाद अनुदान के रूप में देने का वायदा किया है और पेट्रोलियम आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस समझौते के अंतर्गत, चीन अंतर्राष्ट्रीय दरों पर ईंधन की आपूर्ति करेगा, जो काठमांडू को भारत से आयात करने की तुलना में सस्ते प्रतीत हो सकते हैं। आरम्भिक रूप से, चीन नेपाल की आवश्यकताओं के न्यूनतम एक तिहाई भाग की पूर्ति करेगा।

भारत पर प्रभाव:

- चीन को पेट्रोलियम उत्पादों का स्रोत बनाने का नेपाल का निर्णय न केवल नेपाल को ईंधन की आपूर्ति करने में भारत के एकाधिकार को समाप्त कर देगा बल्कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आई.ओ.सी.) के राजस्व को भी प्रभावित करेगा।
- इन गतिविधियों से निर्यात की जाने वाली पेट्रोलियम की मात्रा में कमी होने से, दो पाइपलाइनों परियोजनाओं का भविष्य भी अधर में पड़ गया है। इसमें तेल मंत्रालय द्वारा दक्षिण एशिया की प्रथम ट्रांस-नेशनल पाइपलाइन के रूप में घोषित 41 किमी की रक्सौल-अमलेखगंज पाइपलाइन भी सम्मिलित है। (नेपाल तेल कारपोरेशन (एन.ओ.सी.) और इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.) ने इस सौदे के अंतर्गत रक्सौल बिहार में (आई.ओ.सी.) के डिपो से अमलेखगंज में (एन.ओ.सी.) के डिपो तक पाइपलाइन निर्मित किया जाना था।
- यह घटनाक्रम नेपाल पर भारत के आर्थिक और रणनीतिक दब-दबे को भी प्रभावित करेगा।

सी.एस.ई. वर्ष 2004: (d) भारत-नेपाल संबंधों में तनाव के बिन्दु

भारत और बांग्लादेश द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) पर हस्ताक्षर

भारत और बांग्लादेश ने नई दिल्ली में 15 नवम्बर 2015 को दोनों देशों के बीच जून, 2015 में हस्ताक्षरित ''तटीय नौपरिवहन पर समझौते'' को कार्यान्वित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) पर हस्ताक्षर किए हैं।

एस.ओ.पी. के विषय में:

- मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) को तटीय नौपरिवहन समझौते की शर्तों और उपबन्धों के अनुरूप तैयार किया गया है, भारत और बांग्लादेश दोनों ही इसके प्रावधानों पर सहमत हुए हैं।
- मानक संचालन प्रक्रिया भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय नौवहन प्रोत्साहित करेगी और दोनों देशों के बीच के परिवहन की लागत घटाकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाएगी।
- मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के प्रावधान निर्धारित करते हैं भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के जलयानों से उसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगें जैसी आयात निर्यात संबंधी पोतभार वे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में संलग्न अपने राष्ट्रीय जलयानों से करते है।
- दोनों पक्षों ने भारत-बांग्लादेश तटीय नौपरिवहन के लिए रिवर-सी-वैसेल (आर.एस.वी.) श्रेणी के जलयानों का उपयोग करने पर भी सहमति जतायी है।

तटीय नौपरिवहन पर समझौते के लाभ:

- भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय नौपरिवहन सुविधाओं के प्रारंभ के पश्चात भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक माल आसानी से पहुँचाया जा सकेगा। इसका आरम्भ चटगांव तक तटीय नौपरिवहन तथा उसके बाद सड़क/अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से यह प्रक्रिया संपन्न होगी।
- यह दोनों देशों को निर्यात और आयात हेतु लॉजिस्टिक्स (संचालन और क्रियान्वयन) लागतों की बचत करने में भी समर्थ बनाएगा।
- भारत के पूर्वी-तट पर स्थित गहरे समुद्री बंदरगाह,तटीय मोड़ के माध्यम से आर.एस.वी. श्रेणी के जलयानों द्वारा कार्गो को बांग्लादेश की ओर आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय बंदरगाह के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- भारतीय पत्तन, अधिक कार्गो व्यापार आकर्षित करेंगे और बांग्लादेश हेतु समग्र परिवहन लागत में भी कमी आएगी।
- ट्रांस शिपमेंट (पारस्परिक नौपरिवहन) पत्तनों के रूप में सेवा प्रदान करने वाले भारतीय पत्तन भारत-बाँग्लादेश तटीय व्यापार से लाभ प्राप्त करेंगे।

भारत-ब्रिटेन

प्रधानमंत्री 12 नवम्बर, 2015 को लंदन पहुंचे।

प्रमुख घटनाएँ

- ब्रिटेन और भारत के बीच भावी परिदृश्य पर आधारित साझेदारी का दृष्टिकोण स्वीकार किया गया। यह दोनों देशों के लोगों हेतु आर्थिक विकास, रोजगार और सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा।
- इस दौरे के दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच 9.2 बिलियन पाउंड के वाणिज्यिक सौदों की घोषणा की गई। ब्रिटेन पिछले 15 वर्षों में भारत में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 8.56 प्रतिशत हेतु जिम्मेदार है। भारतीय कम्पनियाँ ब्रिटेन में 110,000 लोगों को नियोजित करती हैं।
- दोनों देशों ने तकनीकी सहयोग, कौशल साझेदारी और व्यापार संलग्नता से संबंधित समझौते किए। इसके माध्यम से भारत का महत्वाकांक्षी शहरी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। दोनों देशों के द्वारा इन्दौर, पुणे और अमरावती के साथ तीन ब्रिटेन-भारत शहर भागीदारियों की घोषणा की।
- दोनों देशों ने स्वस्थ नदी प्रणालियों हेतु एक नए टेम्स-गंगा सहयोग

का आरम्भ किया है। इस भागीदारी में गंगा नदी घाटी में जल संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन संभव करने हेतु अनुसंधान और नवोन्मेष संबंधी कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। वर्ष 2016 में ब्रिटेन जल भागीदारी के अंतर्गत विशेषज्ञों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ब्रिटेन के अनुसंधान परिषदों के मध्य भारत-ब्रिटेन संयुक्त टीका विकास सहयोग की स्थापना की घोषणा।

भारत-चीन: नदी और संस्कृति

- चीनी उपराष्ट्रपति ली युआनचाओ भारत के दौरे पर आए और उन्होंने नदी जल प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों के संबंध में समझौते किए।
- संयुक्त जल प्रबंधन पर वर्ष 2013 के समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया जाएगा। यह बेहतर जल प्रबंधन के लिए भारत और चीन को अनेक हिमालयी नदियों से संबंधित आंकड़ों की साझेदारी करने में सहयोग प्रदान करता है।
- बाढ़ के मौसम में जल संबंधी आंकड़ों की साझेदारी आपातकालीन प्रबंधन और निचले नदीतटीय क्षेत्रों में बेहतर योजना निर्माण में सहयोग करती है।
- दूसरा समझौता गुप्त काल की सांस्कृतिक प्रदर्शनी के संबंध में है जो वर्ष 2016 में चीन में आयोजित होनी है। गुप्त काल में ही नालन्दा विश्वविद्यालय विकसित हुआ था | इस विश्वविद्यालय ने बाद में ह्वेन त्सांग की भारत यात्रा के दौरान उसकी मेजबानी की।

सुर्ख़ियों में

भारत-रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास

रक्षा संबंधों की पृष्ठभूमि:

- रूस के साथ संबंध भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं| रूस भारत का पुराना विश्वसनीय साथी रहा है।
- इस संबंध ने अक्टूबर 2000 में "भारत-रूस सामरिक साझेदारी पर घोषणा" पर हस्ताक्षर के बाद और अधिक महत्व प्राप्त कर लिया।
- यह रणनीतिक साझेदारी 5 प्रमुख अवयवों पर निर्मित की गयी है: राजनीति, रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और आतंकवाद विरोधी अभियान। भारत और रूस के बीच रक्षा संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है।
- अनेक दशकों तक सोवियत संघ रक्षा उपकरणों का महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता था | सोवियत संघ के विघटित होने के बाद उस संबंध को रूस द्वारा विरासत में प्राप्त किया। आज यह सहयोग क्रेता-विक्रेता तक ही सीमित नहीं है वरन् इसके अंतर्गत संयुक्त सैन्य अभ्यास ,संयुक्त अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, सेवाओं के मध्य परस्पर संपर्क जैसे सहयोग के विशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं।
- पिछला संयुक्त नौसेना अभ्यास अप्रैल 2007 में जापान सागर में हुआ था और संयुक्त हवाई अभ्यास सितम्बर 2007 में रूस में हुए थे।
- भारत और रूस के कई प्रमुख संयुक्त सैन्य कार्यक्रम हैं जैसे कि ब्रह्मोस, 5 वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रम आदि।

समाचारों में:

सातवें भारत-रूस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इंद्र-2015, बीकानेर (भारत) में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 14 दिन (7 से 20 नवम्बर तक) की अवधि के लिए 7 नवंबर 2015 को आरम्भ हुआ।

अभ्यास के विषय में:

इंद्र भारत और रूस के मध्य किया जाने वाला एक संयुक्त, द्वि-वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसे वर्ष 2003 में आरम्भ किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और अन्तरसंक्रिया को सशक्त करना है। इन्द्र वर्ष 2015 इस द्विपक्षीय अभ्यास श्रृंखला का सातवाँ संस्करण है। इस वर्ष का संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत मरुस्थलीय भू-भाग में आतंकवाद निरोधी अभियानों पर केन्द्रित रहेगा।

भारत और तुर्कमेनिस्तान

संघीय कैबिनेट ने वर्ष 1997 में भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच हस्ताक्षरित दोहरा कराधान अपवंचन अभिसमय (डी.टी.ए.सी.) को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह समझौता एक सलेख के माध्यम से दोहरे कराधान से बचने तथा आय एवं पूँजी पर करों के संदर्भ में अपवंचन के निषेध हेतु किया गया था।

यह प्रोटोकॉल कर संबंधी मुद्दों पर सूचनाओं के प्रभावी आदान-प्रदान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों का प्रावधान करता है। इसमें बैंक संबंधी सूचनाओं के साथ–साथ घरेलू कर ब्याज से रहित सूचनाओं का साझा किया जाना सम्मिलित है।

साथ ही यह सलेख 'लाभ की सीमाओं' के अनुच्छेद का भी प्रावधान करता है, जिसका उद्देश्य इस समझौते के दुरुपयोग को रोकना है।

भारत-दक्षिण कोरिया: वायु सेवा सहयोग

- वर्ष 1973 में पारस्परिक कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के बाद भारत-दक्षिण कोरिया के संबंधों में बहुत प्रगति हो चुकी है।
- शीतयुद्ध की संपूर्ण अवधि के दौरान, वैचारिक मतभेदों के कारण दोनों देश अपने संबंधों का व्यापक लाभ नहीं उठा सके थे।
- अपनी "लुक ईस्ट पॉलिसी" पर भारत के ध्यान केन्द्रित करने और दक्षिण कोरिया के 'न्यू एशिया डिप्लोमेटिक इनीशिएटिव' ने संबंध को एक विशिष्ट रणनीतिक भागीदारी तक पहुँचाया है।
- भारत ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सहयोग को बढ़ाने के सन्दर्भ में दक्षिण कोरिया से समझौता किया है तथा दोनों पक्ष

विमानों के उड़ान भरने के लिए स्वीकृत संख्या को वर्तमान 6 से बढ़ाकर प्रति सप्ताह 19 उड़ान करने के लिए कोरिया गणराज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- सीटों की संख्या में बढ़ोत्तरी के अतिरिक्त, भारत और दक्षिण कोरिया वाहक विमानों को अन्य गंतव्यों के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु भी सहमत हुए हैं।
- उपर्युक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ, दोनों देशों के बीच वायु सम्पर्क को और अधिक बढ़ाया जाएगा। इससे आर्थिक गतिविधियों एवं जनता के बीच सहयोग बढ़ना अपेक्षित है।

इतालवी समुद्री मामला

फरवरी 2012 में केरल तट से दूर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसेनिकों के मामले पर भारत और इटली के बीच निरंतर विधिक संघर्ष जारी है।

समाचारों में क्यों?

10 नवम्बर 2015 को समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यू.एन.सी.एल.ओ.एस.) के सातवें अनुलग्नक के अनुसार न्यायाधिकरण का गठन किया गया। इसके अन्तर्गत दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए पांच सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण गठित किया गया।

पृष्ठभूमि:

इटली ने जून 26, 2015 को प्रोफेसर फ्रांसेस्को फ्रांसिओनी को पांच में से एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया, भारत ने 24 जुलाई को न्यायाधीश पटिबन्दला चन्द्रशेखर राव को एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया।

30 सितम्बर 2015 को हम्बर्ग में एक बैठक के दौरान दोनों पक्षों से परामर्श के बाद, समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (आई.टी.एल.ओ.एस.) के अध्यक्ष ने कोरिया के न्यायाधीश जिन-ह्यून पेक और जमैका के न्यायाधीश पैट्रिक राबिनसन को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया।

चीनी संसद द्वारा 100 बिलियन डॉलर के ए.आई.आई.बी. का अनुसमर्थन

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (ए.आई.आई.बी.) :

- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (ए.आई.आई.बी.) 21वीं सदी हेतु कल्पित एक बहुपक्षीय विकास बैंक (एम.डी.बी.) है।
- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (ए.आई.आई.बी.) आधुनिक ज्ञान-आधारित संस्थान है। यह एशिया में अवसंरचना और अन्य उत्पादक क्षेत्रों जैसे ऊर्जा और विद्युत, परिवहन और दूरसंचार सुविधाओं के विकास में सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त यह ग्रामीण अवसंरचना और कृषि विकास, जल आपूर्ति और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास और लॉजिस्टिक इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

समाचारों में:

- चीन के शीर्ष विधान मंडल ने 4 नवम्बर 2015 को एशिआई अवसंरचना निवेश बैंक (ए.आई.आई.बी.) समझौते की पुष्टि की। यह बैंक के विधिक ढांचे की स्थापना से संबंधित है।
- चीन इसका सबसे बड़ा शेयरधारक है, इसलिए इसका अनुसमर्थन वर्ष 2015 के अन्त तक निर्धारित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (ए.आई.आई.बी.) की औपचारिक स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- ए.आई.आई.बी.100 बिलियन डॉलर की अधिकृत पूँजी से एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों के निर्माण जैसी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा।

ए.आई.आई.बी. की स्थापना/अनुसमर्थन के कारण:

- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (ए.आई.आई.बी.) चीन की वित्तीय पहुँच को विस्तारित करेगा। यह न केवल विश्व बैंक वरन् एशिआई विकास बैंक के साथ भी प्रतिस्पर्धा करेगा, जिस पर जापान का अत्यधिक प्रभुत्व है।
- चीन और ब्रिक्स समेत अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएँ विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) समेत बहुपक्षीय विकास बैंकों में लम्बे समय से अपने सीमित प्रतिनिधित्व का विरोध करती रही हैं।
- चीन को विश्व बैंक के 'श्रेणी दो' वोटिंग ब्लॉक में रखा गया है, वहीं (ए.डी.बी.) में 5.5 प्रतिशत की शेयर धारिता के साथ चीन, अमेरिका (15.7 प्रतिशत) और जापान (15.6 प्रतिशत) की शेयरधारिता से काफी पीछे है।

भारत और बेल्जियम के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

बेल्जियम ने राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भारत की वैश्विक भूमिका के बढ़ते महत्व को पहचाना है।

समाचारों में:

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संघीय कैबिनेट ने एक समझौता ज्ञापन को स्वीकृत किया है, जिसे भारत और बेल्जियाई सरकार के प्राधिकारियों के बीच ऊर्जा हेतु संघीय और क्षेत्रीय स्तरों पर हस्ताक्षरित किया गया है।

यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने में सहयोग करेगा।

उद्देश्य:

दोनों देश सौर ऊर्जा (तापीय और फोटोवोल्टिक), बायोमास, स्मार्ट ग्रिड और पवन ऊर्जा एवं अन्य क्षेत्रों में नई और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में कार्य करेंगे।

अर्थव्यवस्था

मौद्रिक नीति पैनल

चर्चा में

- 4 महीने की बहस एवं चर्चा के बाद भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ने मौद्रिक नीति तय करने संबन्धी जिम्मेदारी पुनः निर्धारित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर गतिरोध को दूर किया है।

अभी तक बनायी जाने वाली मौद्रिक नीति के नियम/प्रारूप -

- वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के (RBI) गवर्नर द्वारा अकेले ही मौद्रिक नीति बनायी जाती है।
- इस क्रम में वह (RBI गवर्नर) डिप्टी गवर्नरों एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ परामर्श भी करता है, किन्तु अन्तिम प्रमाणन के लिए गवर्नर के हस्ताक्षर आवश्यक हैं जो इसकी (गवर्नर) सर्वोच्च प्राधिकारी की भूमिका को सुनिश्चित करता है।

मौद्रिक नीति निर्माण को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने संबन्धी पूर्व में किए गए प्रयास -

- वर्ष 2005 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने विख्यात अर्थशास्त्रियों औद्योगिक निकायो (जैसे फिक्की आदि) और क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों से विचार विमर्श करना आरम्भ किया।
- पारदर्शिता बढ़ाने के क्रम में अब RBI की वार्षिक रिपोर्ट को अधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाने लगा है।
- जहाँ RBI ने त्रैमासिक समीक्षा को प्रकाशित करना आरंभ किया वहीं गवर्नर ने मीडिया में जाकर सभी प्रश्नों/शंकाओं का उत्तर देना आरंभ किया है।
- अर्थव्यवस्था में बिना किसी भागीदारी अथवा बिना जवाबदेही के गवर्नर की ही बनी हुई है।

पूर्व में की गयी सिफारिशे

पूर्व कमेटियाँ - तारापोर, रेड्डी, वित्तीय (FSLRC) एवं नवनिर्मित उर्जित पटेल ने समिति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप् में जो सिफारिशे दी वे हैं -

- मौद्रिक नीति का निर्धारण एक व्यक्ति विशेष द्वारा न होकर एक कमेटी द्वारा होना चाहिए।
- निर्णय बहुमत के आधार पर होना चाहिए।
- ऐसी कमेंटियों का बयौरा लिखित रूप से जनता के बीच रखा जाना चाहिए।

इस प्रकार काफी लंबे समय से मौद्रिक नीति निर्धारण में कमेटी बनाये जाने पर बल दिया जा रहा है।

पिछले कुछ समय में मौद्रिक नीति निर्धारित करने वाली कमेटी के प्रारूप को लेकर सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के के मध्य गतिरोध उभरकर सामने आये हैं।

मंत्रिमण्डल से अनुमोदन के लिए मौद्रिक नीति कमेटी का उल्लेख मंत्रालय के प्रपत्र में किया गया है -

- सरकार ने इस समिति के लिए दो सदस्यों को वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तीन सदस्यों को नामित किया गया है।
- पाँच सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गर्वनर कमेटी का अध्यक्ष होगा जो विशेष परिस्थितियों में निर्णायक मत देगा जैसे कि किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण मत बराबर।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

दिवालियापन कानून

टी. के विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली दिवालिया कानून सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तावित की।

ऋणशोधन संबंधी सुधार में परिवर्तन क्यों आवश्यक है ?

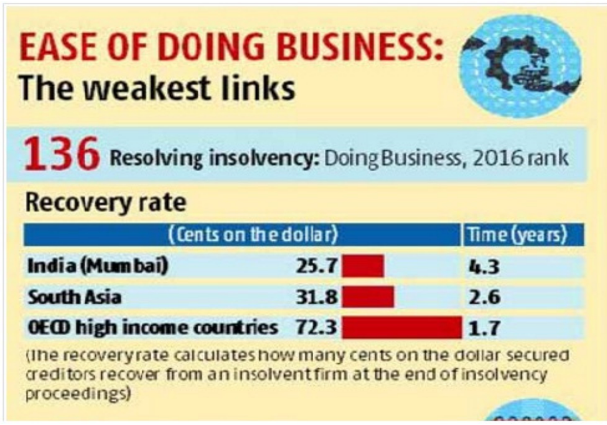

वर्तमान प्रारूप के अन्तर्गत देनदारों एवं लेनदारों के लिए चार अलग वैधानिक/कानूनी मार्ग उप्लब्ध जिनमें प्रत्येक के लिए अलग-अलग कानून हैं। जिस कारण यह व्यवस्था अत्यंत अप्रभावी है। सिका आर.डी.डी.बी.एफ. (SICA RDDBFI) तथा सराफेसी है (SARFAESI) इत्यादि ऐसे ही कानून हैं।

विलंब की समस्या भी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न करती है। ऐसा कोई भी विलंब देनदार की सम्पत्ति के मूल्य में कमी लाता है।

ऋणशोधन संबन्धी सुधार एक महत्वपूर्ण कमजोर पक्ष है व्यापार करने में जिस कारण भारत 136 वें स्थान पर बना हुआ है।

मुख्य सिफारिशे

- यह कानून एक ऋणशोधन/दिवालियापन को नियमित करने वाले नियामक की सिफारिशे करता है जो इस गतिविधि में शामिल ऐसे

पेशेवरों एवं ऐजेन्सियो पर निगरानी रख सके।

- यह कानून ऐसे व्यक्ति विशेष को भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत लाने की सिफारिश करता है जिनकी सालाना आय 60,000 करोड़ रूपये से कम एवं चल-अचल संपत्ति 20,000 करोड़ रूपये से अधिक न हो।
- समूह ने ऋणशोधन समाधान हेतु 180 दिनों का समय निश्चित करने का सुझाव दिया है।
- यह विषय ऋणशोधन विशेषज्ञों के माध्यम से वित्तीय संकटो एवं कंपनियों के पुनरूद्धार की पहचान करने के लिए एक स्पष्ट तंत्र बनाये जाने पर जोर देता है।

चुनौतियाँ

- सबसे महत्वपूर्ण चुनौती निर्धारित समय सीमा का पालन करना है।
- निणर्यन प्रक्रिया में तीव्र वृद्धि करना एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है।
- इसके लिए एक ऋणशोधक विशेषज्ञों का समूह एवं प्रशिक्षित न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी । जो व्यापारिक मुद्दों की अच्छी समझ रखते हो। किन्तु ऐसे लोगो की कमी अब भी बनी हुयी है।

उर्जा क्षेत्र के लिए उदय योजना

- सरकार ने उर्जा वितरक कंपनियों के वित्तीय हानि को कम करने के लिए उज्जवल डिस्काम इंश्योरेंस योजना उदय (UDAY) की घोषणा की।
- वर्तमान समय में भारत 270 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, किन्तु (वितरण कंपनी) पर दबाव कम मूल्य पर बिजली दिये जाने के दबाव के कारण उत्पादक कंपनियो ने ऊर्जा उत्पादन करने में असमर्थता जतायी है। जिस कारण भारत अपनी कुल संभावित उत्पादक क्षमता का आधा उत्पादन ही कर रहा है।
- बिना ऊर्जा के मेक इन इंडिया, "डिजिटल इंडिया" एवं 24 घंटे सभी के लिए कम लागत पर ऊर्जा उपलब्ध कराने का उद्देश्य जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता।

योजनागत प्रावधान

उदय डिस्कांस को अगले 2 - 3 वर्षो में विभिन्न अवसरों को निम्न चार प्रस्तावों/कदमों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा ।

- उर्जा वितरक कंपनी (डिस्काम्स) की परिचालन क्षमता में सुधार/वृद्धि।
- ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करना।
- उर्जा वितरक कंपनी (डिस्काम्स) के लिए ब्याज दरों में कमी करना।
- राज्य प्रदान किए जाने वाले वित्तीय योगदान से संदर्भ में उर्जा कंपनियों के लिए शर्ते निर्धारित की जानी चाहिए ताकि वित्तीय उर्जा कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन लागू किया जा सके।

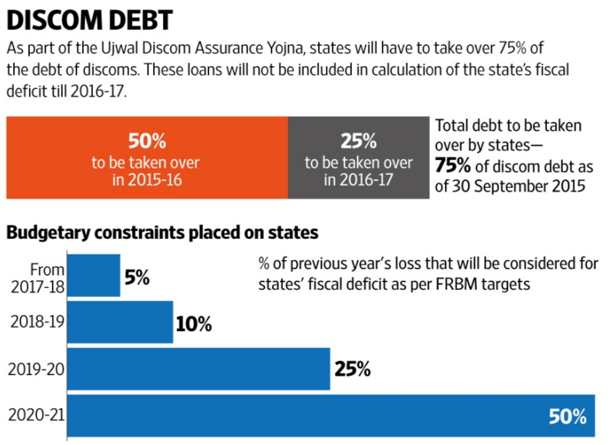

राज्य उर्जा वितरक कंपनी (डिस्काम्स) में एक उपयुक्त सीमा तक के स्वामित्व के लिए बाजार में या बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से बाण्ड जारी करेंगे।

उर्जा वितरक कंपनी (डिस्काम्स) को ऋण राज्य द्वारा न देकर बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया जाएगा जो बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट (Base Rate) से अधिक नहीं होगा।

प्रभाव

- परिचालन क्षमता में सुधार - ऐसी आशा की जा रही है कि इन प्रावधानों/सुधारों से कई सकारात्मक प्रभाव होंगें जैसे - मीटर लगाने को अनिवार्य करना, ट्रांसफार्मर्स की गुणवत्ता में सुधार, कुशल वैद्युत यंत्रो/उपकरणों का प्रयोग इत्यादि। जिससे औसत वित्तीय एवं वाणिज्यिक हानि को 22 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक लाया जा सकता है और वर्ष 2018-19 औसत पूजी एवं उत्पादन की औसत लागत के बीच अंतर को कम किया जा सकता है।
- ऊर्जा उत्पादन की लागत कम होगी - सस्ते घरेलू कोयले की आपूर्ति को बढ़ाना, कम उत्पादन वाले सयंत्रों से अधिक उत्पादन वाले प्लांटों की ओर कोयले का स्थानांतरण, कोयले के मुल्य का निर्धारण जी सी वी (GCB) अर्थात सकल तापजन्य मूल के आधार पर करना, घुले एवं दाबित/संदलित कोयले की अपूर्ति बढ़ाना, और अतिशीघ्र प्रेषण लाइनों के कार्य को पूरा करना।
- राज्यों को लगभग 75प्रतिशत ऋण की व्यवस्था उर्जा वितरक कंपनी (डिस्काम्स) हेतु करना - ऋण की वर्तमान की दर 14 से 15 प्रतिशत से कम कर 8 से 9 प्रतिशत के आस-पास लाना, जिससे न सिर्फ उनकी बेलेंस शीट में सुधार होगा बल्कि लाभ भी बढ़ेगा।

अग्रिम उपाय

- उर्जा वितरक कंपनी (डिस्काम्स) के सामने आ रही प्रमुख वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें लागत के अनुसार मूल्य निर्धारित करने की छूट देना है, जिसमें पूँजी पर मिलने वाला लाभ सम्मिलित हो।

- यह कार्य दो तरीकों से किया जा सकता है -
- उपभोक्ताओं को राज्य नियामको द्वारा निर्धारित पूरा भुगतान देने को कहा जाए एवं बाद में सरकार द्वारा सब्सिडी को सीधे तौर पर निश्चित समूहों को स्थानांतरित कर दिया जाए।

शुल्कदर में दी गयी छूटों के लिए वार्षिक वित्तीय प्रावधान किया जाए जिसे निश्चित अंतराल पर खातों में (डिस्कांम्स के) स्थानांनतरित कर दिया जाए।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मानदण्ड/मानक में सुधार

सरकार ने विकास निवेश हेतु खनन, रक्षा, विनिर्माण, रियल स्टेट, नागरिक उड्डयन, सूचना एवं प्रसारण सहित 15 क्षेत्रकों से संबंधित मानदंडों में सुधार किया हैं।

सरकार ने विदेशी संस्थागत प्रोत्साहन बोर्ड (FIBP) द्वारा प्रमाणन की सीमा की 3000 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रूपये कर दिया।

निर्णय के प्रमुख बिन्दु

- डी टी एच (DTH) केबिल नेटवर्क एवं बागानी फसलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 100 प्रतिशत कर दी गयी है।
- करेंट अफेयर्स एवं न्यूज में 26 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है।
- सीमित देयता भागीदारी एवं कर-मुक्त कारखाने में स्वचालित मार्ग से निवेश की सीमा को सरकार ने 100 प्रतिशत किया है ।
- विनिर्माण विकास क्षेत्रों में न्युनतम पूंजीगत मानदण्ड तथा भवन निर्माण आधारित बाध्यताओं को हटा दिया गया है। इस क्षेत्र में वर्तमान नियम कानूनों को विदेशी निवेशकों हेतु सरल बनाया गया है।
- रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को स्वचालित मार्ग से 49 प्रतिशत तक कर दिया गया है, इससे आगे का निवेश विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (FIBP) की सहमति से संभव होगा।
- इसके पहले 49 प्रतिशत तक रक्षा क्षेत्रों में प्रतिभूतियों में निवेश हेतु गठित मंत्रिमण्डल समिति से प्रमाणन करवाना आवश्यक होता है।
- रबर, काफी , इलायची, पाम आयल ट्री एवं जैतून तेल की बागानी फसल उगाने में FDI सीमा को 100 प्रतिशत कर दिया।
- सिंगल ब्राड-रिटेल में अब कंपनिया अपने उत्पादो को ई-व्यापार द्वारा बेच सकती है।
- क्षेत्रीय वायु सेवा प्रदाता कंपनियों को स्वचालित मार्ग से निवेश में 49 प्रतिशत तक छूट।

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना

- एक अनुमान के अनुसार भारत में मंदिरों, घरों एवं अन्य संस्थाओं में कुल मिलाकर 20,000 टन सोना इकठा हुआ है जिसका मूल्य लगभग 60 लाख करोड़ रूपये है, जो भारत के वार्षिक वित्तीय बजट से 3 - 4 गुना अधिक है।
- वतर्मान समय में भारत 800 - 1000 टन सोने का आयात कर विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- इतनी अधिक मात्रा में आयात होने के बावजूद इस सोने का न तो व्यापार किया जाता है न ही मौद्रीकरण।
- अत: वर्ष 2015-16 बजट में सोने/स्वर्ण के मौद्रीकरण की योजना का उल्लेख किया गया था, जिसके अन्तर्गत नामित बैंक सोने की शुद्धता जाँचकर उसे जमा रूप् में स्वीकार कर सकेंगे।

योजना के प्रावधान

- बैंक 30 ग्राम से अधिक तक के गैर आभूषण सोने को स्वर्ण बचत खाते में जमा कर सकेंगे। इसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
- ब्याज दरों का निर्धारण जमा किये गये स्वर्ण एवं तत्कालीन धातु-मूल्य के आधार पर किया जाएगा। पहले अपने स्वर्ण की सुरक्षा हेतु ग्राहकों को लाकर शुल्क देना होता था।
- नामित बैंक निम्न अवधियों के अन्तर्गत जमा स्वीकार करेंगे -
- लघु-समय के लिए (1 - 3 वर्ष) जमा
- मध्यम-समय सीमा आधारित सरकारी जमा (5 - 7 वर्ष)
- दीर्घावधि सरकारी जमा योजना (12 - 15 वर्ष)

जमाकर्ताओ को लाभ

- भारतीय नागरिक सोने को मुख्यत: सिक्कों या सिल (बार) के रूप में स्वर्ण बचत खातों में रखकर, वर्धित धातु मूल्य आधार पर ब्याज प्राप्त कर सकेंगे।
- जमाधारक के सोने की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होगी।
- प्राप्ति, स्वर्ण रूप में या तत्कालिक मूल्य आधार पर की जा सकती है।
- इससे प्राप्त आय, पूँजीगत लाभ कर, संपत्ति कर एवं आयकर से मुक्त होगी।

अर्थव्यवस्था को लाभ

- आयात पर निर्भरता कम होने के साथ अर्थव्यवस्था में स्थायित्व आयेगा।
- व्यापार घाटा कम होने के साथ चालू - खाता घाटा नीचे आयेगा।
- आभूषण वाले सोने की कीमत में उल्लेखनीय कमी आयेगी।

परियोजना ऋृण के लिए विश्व बैंक की नवीन शर्ते

प्रमुख बदलाव

- विश्व बैंक ने नये पर्यावरण एवं सामाजिक मानदण्ड प्रस्तावित किये हैं जो पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को कम करते हुए मुख्यत: श्रम एवं कार्य परिस्थिति को ध्यान में रख कर पर्यावरणीय मानकों को अधिक मजबूती प्रदान करेंगे।
- प्रस्तावित शर्तों के आधार पर समय-समय पर बैंक द्वारा मूल्यांकन/आंकलन किया जायेगा जो पर्यावरणीय सामाजिक मानदण्डो के

अनुरूप मापक एवं कार्यात्मक दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा।

- प्रस्तावित ई.एस.एस. के प्रत्येक ऋणग्रही/उधार लेने वाला देश अपने सामाजिक एवं पर्यावरणीय कानून विश्व बैंक तंत्र के अनुरूप ही बनायेगा।
- यह बाल एवं बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करते हुए सशक्त व्यवस्था बनाने पर जोर देता है जिसके अन्तर्गत योजना हेतु कर्मचारियों की भर्ती में गैर उपेक्षापूर्ण एवं समानतापूर्ण व्यवहार अपनाया जाए, साथ ही कार्यस्थल पर रोजगार हेतु अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण पर बल देता है।

भारत का रूख

- भारत नियमित मूल्यांकन का विरोध कर रहा है क्योंकि ऐसे मूल्यांकन से परियोजना पर अनुचित एवं अधिक खर्च आयेगा।
- ऐसे प्रावधान विश्व बैंक के साथ भारत में व्यापार करने संबन्धी सरलताओं/माहौल में चुनौतियाँ उत्पन्न करेंगे।
- भारत ने इन प्रावधानों को 'अधिक प्रतिगामी' की संज्ञा देते हुए बताया है कि ऐसे प्रावधानों से वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम अलाभकारी होंगे।
- भारत ने दलील देते हुए कहा है कि उसका पर्यावरण एवं सामाजिक मानदण्ड आधारित प्रारूप् अधिक सशक्त है जो विश्व बैंक द्वारा पर्यावरणीय और सामाजिक मानको पर (ESS) आधारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ है।

अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (Bank for International Settlement-BIS)

- यह केन्द्रीय बैंकों का बैंक है।
- यह बेसल स्विटजरलैण्ड में अवस्थित है, इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 60 है जो विश्व के 95 प्रतिशत जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- वर्ष 1930 में इसका गठन वर्साय की संधि के अन्तर्गत मुद्रा प्रबन्धन हेतु किया गया था।
- अपनी स्थापना से आज तक सहित इसका प्रमुख उद्देश्य विश्व बाजार में नवाचार लाना है।
- मोटे तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) का प्रमुख उद्देश्य
- केन्द्रीय बैंको के मध्य विचार विमर्श एवं सहयोग बढ़ाना।
- अन्य प्राधिकरणों के साथ विचार विमर्श को समर्थन देना जो विश्व बाजार में वित्तीय स्थायित्व लाने के उत्तरदायी है।
- मौद्रिक एवं वित्तीय स्थायित्व संबंधी मुद्दों हेतु अनुसंधान एवं योजना निर्माण को बढ़ावा देना।
- केन्द्रीय बैंको के मुद्रा प्रबन्धन के लिए प्रमुख केंद्र की तरह कार्य करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रचालनों के संबंध में एजेंट या दूसरे रूप में कार्य करना।

चर्चा में क्यों

- भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर रघुराजन को अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक का उपाध्यक्ष चयन किया गया है

सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक कंपनियों की सहायतार्थ अफ्रीकन मार्ग पर विचार

- सरकार ने स्वतंत्रता पश्चात नेहरू की औद्योगिक नीति को दोहराते हुए मुख्यतया ऐसे अफ्रीकी देश जिनके पास निजी पूँजी कम मात्रा में हैं उनकी सहायता देश के सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा करने का निश्चय किया गया है।
- इस नीति के अन्तर्गत सरकार अफ्रीकी देशों से विभिन्न क्षेत्रकों में राज्य नियंत्रित उद्यमों के लिए संरक्षण चाहती है जिससे की केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम अगले 15 - 20 वर्षो में नयी सहायक कंपनी तथा मानक पर्यावरणीय क्रियाविधि (standard operating environment-SOE's) के साथ नये संयुक्त उपक्रम स्थापित करके स्पर्धामुक्त माहौल में कार्य कर सके।
- यदि यह प्रस्ताव पारित होते हैं तो इससे न केवल लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) को नये बाजार ढूंढने में तथा भारत में निजी क्षेत्रो से स्पर्धा से बचने में मदद मिलेगी बल्कि इससे विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को होने वाले नुकसान की भरपाई कर उनको सुदृढ बनाया जा सकेगा।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम में समस्या

- अधिकांश नयी नौकरियाँ विनिर्माण क्षेत्रों में ही हैं।
- भारत की कुल श्रम शक्ति का 85 प्रतिशत असंगठित क्षेत्रों में लगा हुआ है जो अकुशल है।
- अधिकांश नौकरियाँ सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्रों में मुख्यत: कौशल आधारित है, जबकि भारत का अधिकांश श्रम अकुशल है।
- अत: इन दोनो ही क्षेत्रों में कार्य बल की माँग-पूर्ति में काफी अंतर बना हुआ है।
- आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2014 - 15 के अनुसार वर्तमान कौशल केन्द्रित माडल से मौजूदा अकुशल कार्यबल की एक या दो पीढ़िया प्रगति के अवसर प्राप्त करने से पीछे छूट जायेगी।
- सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वचालन/स्वचालित यंत्रों के बढ़ते हुए प्रयोग से कंपनियों का झुकाव विकसित अर्थव्यवस्थाओ या विनिर्माण आधारित देश, जैसे चीन आदि की ओर हो जाएगा जो भारत जैसे विकासशील देश की कीमत पर होगा।
- विनिर्माण में 'रोबोटिक्स' का अधिक प्रयोग से राष्ट्रों के अन्दर, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देगा, ऐसे में भारतीय उत्पादों के निर्यात के सम्मुख चुनौती उत्पन्न होगी।
- ऐसे प्रयासों से वे देश जो कम मूल्य लागत आधारित वस्तुओं के

निर्माण में निपुण है, उनका व्यापार प्रभावित होगा जो कहीं न कहीं मंदी को बढ़ावा देगा।

अग्रिम उपाय/प्रयास -

- कार्यबल को अधिक कुशल बनाते हुए अवसंरचना में सुधार।
- मेक इन इंडिया तब तक सार्थक/सफल सिद्ध नहीं होगा जब तक व्यापार परिचालन की लागत कम नहीं होगी।
- सरकार को निरंतर ऐसे प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी जो व्यापार परिचालन माहौल में लगातार सुधार ला सके।

विदेशी निवेश प्राप्त करने में भारत का 'प्रथम' स्थान

- 31 बिलियन डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त कर भारत ने पिछले साल के 5वें स्थान से छलांग लगाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया जो अब निवेश के मामले में सबसे पसंदीदा स्थान बन गया।

भारत के लिए क्या हैं इसके मायने ?

अन्य देशों में निरंतर घटते हुए FDI तथा भारत में बगैर किसी अवरोध के आ रहा निवेश यह प्रमाणित/सिद्ध करता है कि किस प्रकार भारत ने व्यापार परिचालन माहौल को सुधारकर विश्व बाजार में अपनी पहचान बनाने में निरंतर प्रयासरत है।

हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 16 वें स्थान को छलाँग लगाकर 55वां स्थान प्राप्त किया है।

ये सभी नये घटनाक्रम विश्व के निवेशकों को सकारात्मक संदेश देते हुए बताते है कि किस प्रकार भारत उपयुक्त व्यापारिक माहौल बनाने को प्रतिबद्ध है जो समानता के सिद्धांत पर आधारित है।

भारत विश्व का 7वां वैल्युड नेशन ब्रांड बना

- ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में भारत ने वर्ल्डस मोस्ट वैल्युएबल नेशन ब्रांड की सूची में एक स्थान ऊपर बढ़कर 7वां स्थान प्राप्त किया है।
- भारत ने अपनी ब्रांड वैल्यू में 32प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 2.1 बिलियन डॉलर का मूल्य प्राप्त किया है।
- यह मूल्यांकन प्रत्येक राष्ट्र द्वारा पिछले 5 वर्षो में बेचे गये सभी ब्रांडो के पूर्वानुमान पर आधारित होता है जो एक विस्तृत प्रक्रिया के साथ बनाया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद का प्रयोग सकल राजस्व के लिए प्रयोग किया जाता है।

भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक बन कर उभरा

- चीन को पीछे छोड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक बन गया है।
- ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रो का कपास उत्पादन पूर्व वर्ष की तुलना में कम रहा।
- कपास उत्पादन में चीन एवं अमेरिका में पूर्व वर्ष की तुलना में क्रमश: 13.3 प्रतिशत एवं 17.7 प्रतिशत की कमी देखी गयी।

भारतीय रेलवे की पुर्नरुद्धार परिषद - 'कायाकल्प'

रेल बजट भाषण वर्ष 2015 - 16 में कहा गया कि रेलवे से संबद्ध प्रत्येक नये एवं पहले से कार्यरत संगठनों को अपनी कार्य प्रणाली में नवाचार लाते हुए परिवर्तन कर फिर से नया स्वरूप दिये जाने की आवश्यक्ता है, अत: इस परिषद को बनाने का उद्देश्य उद्यम की सरंचना में सुधार कर नवाचार को बढ़ावा देना है।

भारतीय रेलवे का जहाँ एक तरफ सामाजिक दायित्व देश के विभिन्न भागों में वहनीय यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराना वहीं दूसरी ओर एक वाणिज्यिक संगठन की भाँति लाभ कमाते हुए कार्य करना है। अत: यहाँ पर आवश्यक्ता है इन दोनों उद्देश्य में संतुलन बनाकर कार्य करते रहने कि जिससे लोगों को वहनीय यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराकर देश की अर्थव्यवस्था में विकास के प्रेरक के रूप में योगदान दिया जा सके।

परिषद का गठन उपरिलिखित दो लक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य के लिए भी किया गया है।

चर्चा में क्यों -

- कायाकल्प परिषद की चौथी बैठक रतन टाटा की अध्यक्षता में संपन्न हुयी जिसमें सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन कारणों को पहचानने का प्रयास किया गया जो मानवीय भूल के कारण घटित होते हैं।
- बैठक में मुख्यत: इस बात पर जोर दिया गया कि किस प्रकार रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा बनाकर अत्यधिक सुविधायुक्त बनाया जा सके।
- समिति इस बात का भी परीक्षण करेगी जिसमे भारतीय रेल को उपभोक्ता केन्द्रित बनाकर और अधिक अनुकूल बनाया जा सके।

महिला एवं घरेलू कार्य -

- महिलाओं द्वारा घर में किया गया कार्य अवैतनिक होता है।
- इनके कार्य को गैर कार्य की श्रेणी में रखकर अनुत्पादक का दर्जा देना प्राय: भ्रम की स्थिति पैदा करता है।
- वास्तविकता में महिलाएं बहुधा घरेलू उबाऊ कार्यों में लगी रहती हैं और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को बाजार में भी नहीं बेचा जाता। साथ ही ये बच्चों के पालन-पोषण के अलावा देख-रेख का कार्य भी करती हैं।
- इनके (घरेलू महिलाओं) एवं वैतनिक रोजगार में अन्तर मुख्यत: वित्तीय प्रतिफल का है।

चर्चा में क्यों

- हाल ही में मैकिन्से द्वारा संपादित अध्ययन, जिसका शीर्षक ''समता की शक्ति, कैसे महिलाओं हेतु समानता वैश्विक वृद्धि

दर में 2 बिलियन डालर की बढ़ोतरी हो।'' में साक्ष्य मिले हैं कि महिलाओं के घर में होने के कारण किसी राष्ट्र की आय में खरबों का नुकसान होता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत की GDP में 16 – 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है यदि अधिक से अधिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़े।

निष्कर्ष

- ऐसी माँग की जा रही है कि महिलाओं द्वारा किये जाने वाले घरेलू कार्य को वित्तीय/मौद्रिक-मूल्य प्रदान किया जाए। इस अध्ययन में ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि किस प्रकार महिलाएं घर में रहकर अर्थव्यवस्था की वृद्धि में बाधक सिद्ध हुयी है।

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी

आनुवांशिक प्रमाणों की पहचान में होगा आयुर्वेदिक प्रकृति का प्रयोग

आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति अथवा मानव शरीर का गठन तीन महत्वपूर्ण अभिलक्षणों पर आधारित है जिन्हें आयुर्वेदिक शब्दावली में 'दोष' कहा गया है, जो निम्न हैं

- वात – कोशिका विभाजन, हृदय,श्वास तथा मस्तिष्क जैसी आधारभूत शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है।
- पित्त – अंत:स्त्राव(हार्मोन) तथा पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है।
- कफ- प्रतिरोधकता तथा शारीरिक शक्ति को बनाए रखता है तथा इनके विकास पर नियंत्रण रखता है।

आयुर्वेद के अंतर्गत उपचार प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ के संयोजन पर आधारित होता है।

- भारतीय वैज्ञानिकों का एक दल किसी व्यक्ति विशेष के गुणसूत्रों तथा उसकी प्रकृति के मध्य संबंधों को जोड़ने के कार्य में लगा हुआ है। इस अनसंधान के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय पारंपरिक औषधि का एक आनुवांशिक आधार है तथा इस प्रकार आयुर्वेदिक औषधि व्यक्तिगत आवश्क्ताओं के अनुसार प्रदान की जा सकती है। व्यक्तिगत औषधि एक प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ उपचार तथा रोग संधान करने की पद्धति है, जो कि किसी व्यक्ति विशेष की जीवनशैली, वातावरण तथा उसके गुणसूत्रों पर आधारित होती है।

संचार उपग्रह जीसैट – 15 का सफल प्रक्षेपण

क्या है जीसैट ?

- जीसैट तुल्यकालिक उपग्रहों की एक श्रृंखला है, जिसे तुल्यकालिक कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। इस कक्षा का परिक्रमण काल तथा पृथ्वी का घूर्णन काल समान होता है। यह उपग्रह परिक्रमण के पश्चात प्रतिदिन अपने निश्चित स्थान पर लौट आता है।
- तुल्यकालिक उपग्रहों की श्रृंखला में ही भूस्थैतिक उपग्रह भी होते हैं, जो कि भूस्थैतिक कक्षा में परिक्रमण करते हैं। भूस्थैतिक कक्षा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित एक वृत्तीय आकार की कक्षा है।
- तुल्यकालिक उपग्रह – तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के किसी विशेष स्थान से देखे जाने पर सदैव आकाश के एक विशेष क्षेत्र में विद्यमान दिखाई देते हैं।
- भूस्थैतिक उपग्रह – इसकी विशेषता आकाश में सदैव एक निश्चित स्थान पर विद्यमान रहने की है, अत: इस उपग्रह की निगरानी नहीं रखनी पड़ती, अत: भू-तल स्थित एंटीनों को सदैव एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है। संचार के उद्देश्य के लिए इस उपग्रह का प्रयोग निरंतर किया जाता है।

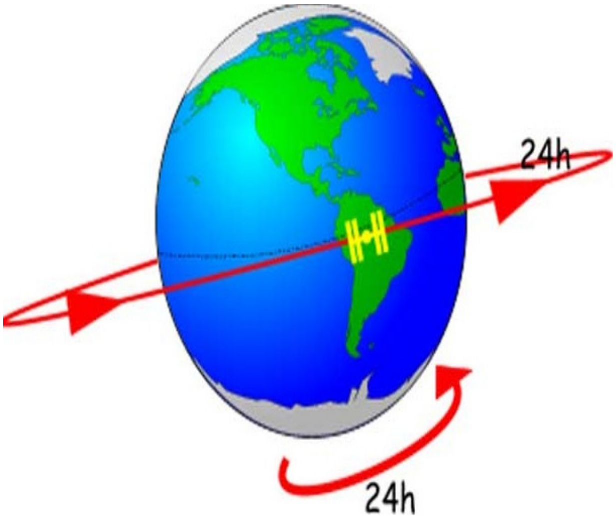

A satellite in a geostationary orbit

जी सैट-15

जी सैट क्या है ?

- जी सैट-15 भारत का आधुनिकतम संचार उपग्रह है। इसे दक्षिण अमेरिका में स्थित फ्रेंच गुयाना के कौरू प्रक्षेपण केन्द्र से प्रक्षेपित किया गया।
- इसे कर्नाटक के हासन में स्थित इसरो (ISRO) के मास्टर कन्ट्रोल फैसिलिटी (एमसीएफ) द्वारा नियन्त्रित किया जाएगा।
- इस भारतीय उपग्रह का जीवनकाल 12 वर्ष है।
- जी सैट-15 अपने साथ 24 संचार ट्रांसपोन्डर के साथ एक गगन (GAGAN-GPS-Aided Geo Augmented Navigation) नामक अंतरिक्ष उपकरण भी ले गया है।

यह भारत की सहायता कैसे करेगा ?

- 3164 किलोग्राम के इस अंतरिक्ष यान द्वारा इनसैट-3A तथा इनसैट-4B उपग्रहों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। ये दोनो उपग्रह अपनी सेवा समाप्ति के समय एक ही कक्षीय स्थान में होंगे।
- जीसैट-15 के साथ भेजे गये 24 संचार ट्रान्सपोन्डर सार्वजनिक एवं निजी डाइरेक्ट टू होम (DTH) प्रसारणों वी सैट प्रचालकों तथा रेडियो नौसंचालन सेवाओं में प्रयुक्त होंगे।
- गगन (GAGAN) अन्तरिक्षयान जीवन की सुरक्षा (Safety of Life - SOL) से सम्बंधित क्रियाओं के लिए कक्षा की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करेगा। इसकी सहायता से देश में नागरिक उड्डयन सेवाओं तथा जी.पी.एस. आधारित प्रणाली का प्रयोग करने वाले प्रयोक्ता लाभान्वित होंगे।
- इस प्रकार जी सैट-15 देश में उपग्रहीय नौसंचालन अवसंरचना तथा सतत संचार अवसंरचना को मजबूती प्रदान करेगा।

इसरो (ISRO) ने दूरसंचार उपग्रहों जीसैट-17 तथा जीसैट-18 के प्रक्षेपण की योजना बनायी है। इन दोनो उपग्रहों को फ्रेंच गुयाना के गुयाना अन्तरिक्ष केन्द्र से एरियन-5 प्रक्षेपण यान द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रक्षेपित किया जाएगा। ये दोनो उपग्रह अलग-अलग आवृत्ति बैंड पर सेवा प्रदान वाले उपग्रहों को प्रतिस्थापित करेंगे।

सी एस ई-2008 भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें।

नासा ने एक अन्य शक्तिशाली गामा किरण विस्फोट की खोज की

पृष्ठभूमि

नासा के द्रुतगामी अन्तरिक्षयान ने 1000 वें गामा किरण विस्फोट (gamma-ray burst - GRB) की खोज की।

जी आर बी (GRB) क्या है ?

- ऐसा माना जाता है कि जी आर बी तीव्र विकरणों की संकीर्ण किरणपुंज अथवा चमक होती है। यह किरणपुंज सुपरनोवा या हाइपरनोवा के दौरान मुक्त होता है। इस दौरान न्यूट्रान तारा, क्वार्क तारा या ब्लैक होल निर्माण के लिये तेजी से घूमते हुए उच्च द्रव्यमान वाले तारे आपस में टकराते है।
- यह ब्रह्माण्ड में ज्ञात सबसे चमकीली विद्युत चुम्बकीय घटनायें होती है। यह विस्फोट दस मिलीसेकन्ड से कुछ घण्टों तक चल सकता है।
- आरम्भिक विस्फोट के बाद एक लम्बे समय रहने वाली 'पश्चदीप्ति' उत्पन्न होती है। यह पश्चदीप्ति लम्बी तरंगदैध्र्य (X किरण, पराबैंगनी, प्रकाशीय, अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे तथा रेडियो किरणें) की होती है।

जी आर बी (GRB) का महत्व -

- गामा किरण विस्फोट ब्रह्माण्ड विज्ञानियों के लिए एक प्रेक्षणीय यन्त्र हो सकता है। इसके द्वारा ब्रह्माण्ड के आकार तथा विकास को समझा जा सकता है।

नासा के अनुसार सौर पवनों ने वायुमंडल को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- नासा के अनुसार सौर पवनों ने मंगल के गर्म और नम वातावरण के ठंडे और शुष्क जलवायु में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार यदि सौर पवनों द्वारा मंगल के वातावरण में परिवर्तन न किया जाता तो वहा जीवन का विकास संभव था।
- नासा के मंगल ग्रह के वातावरण और अस्थिर विकास ; (Mars Atmosphere and Volatile Evolution - MAVEN) मिशन के आकड़ों के आधार पर अनुसंधानकर्ताओं ने उस दर को निर्धारित किया जिस दर से मंगल ग्रह सौर पवनों के अवरोधन द्वारा अपने वातावरण की गैस को खो रहा है।
- मंगल ग्रह के प्राचीन क्षेत्रों में बहुतायत जल की उपस्थिति की संकेत मिले है। इन संकेतों में नदियों द्वारा निर्मित घाटियाँ तथा खनिज भण्डार मिले हैं, जिनका निर्माण पानी की उपस्थिति में ही होता है।
- सौर पवनें प्रमुखतया इलेक्ट्रान तथा प्रोटान आवेशित कणों से निर्मित उर्जायुक्त धारायें होती हैं। ये पवनें सूर्य से बाहर की तरफ बहती है। ये सौर प्रणाली से 900 किमी। प्रति सेकण्ड की चाल से चलती है तथा इसका तापमान 10 लाख डिग्री (सेल्सियस) होता है।
- यह पदार्थ की चैथी अवस्था-प्लाजमा की बनी होती है। इन पवनों के कण अपनी उच्च उर्जा के कारण सूर्य के गुरूत्व से बच निकलते है।

यह पृथ्वी को कैसे प्रभावित करती है?

- ये पवनें पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र से टकराती है और इसके (चुम्बकीय क्षेत्र के) आकार में परिवर्तन लाती है। इनके कण पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र को बेधकर पार कर जाते हैं। ये उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।
- पृथ्वी पर सौर पवनों का प्रभाव उत्तरी ध्रुव पर औरोरा बोरियालिस (उत्तरी प्रकाश) तथा दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा आस्ट्रैलिस (दक्षिणी प्रकाश) के रूप में प्रकट होता है। यह नग्न आँखों से दिखता है ।
- अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री तथा रुसी अंतरिक्ष यात्री यदि सौर पवनों के रास्ते में आते है तो उन्हे गम्भीर विकिरणों से स्वास्थ्य समस्यायें हो जाती है।

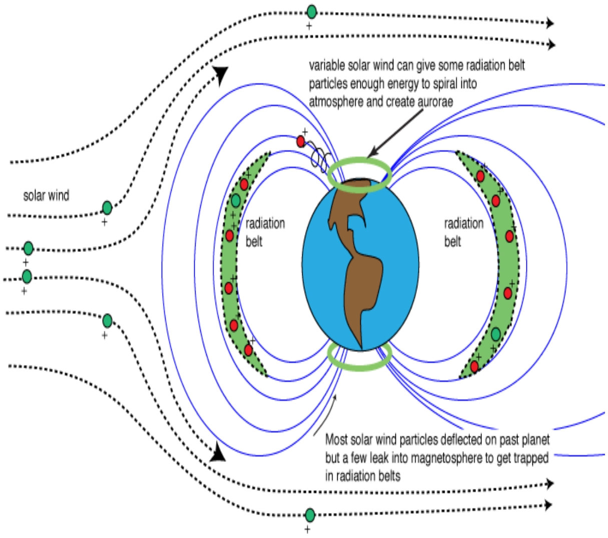

- सौर पवनों के विकिरण गुणसूत्र परिवर्तन तथा कैंसर का कारण होते हैं। ये स्थितियाँ ब्राह्य अन्तरिक्ष में मनुष्य के लिए घातक होती है।

 ©Vision IAS

- रेडियो तथा दूरदर्शन संचार तथा उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवायें सौर्य पवनों द्वारा बाधित होती है। सैन्य उपग्रह सौर पवनों द्वारा सबसे बुरी तरह प्रभावित होती है।
- सौर्य पवनों द्वारा उत्पन्न भू-चुम्बकीय झंझावत अधिक शक्तिशाली होती है। यह पावर ग्रिडों को नष्ट या अव्यवस्थित कर सकती है।
- ये पवनें मुख्यतया समुद्री जहाजों नौसंचालन तथा संचार प्रणाली को भी प्रभावित करती है। भूचुम्बकीय झंझावत के दौरान वायुयानों के संचार तथा यन्त्रों में खराबी आ जाती है जिससे वे गलत ढंग से कार्य करने लगते हैं।
- धूमकेतु की जलती हुई पूछें भी सौर्य पवनों का प्रभाव मात्र होती है। इन्हे नग्न आंखों से देखा जा सकता है।

इम्प्रिन्ट भारत कार्यक्रम

- माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी जी ने 'इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एण्ड टेक्नोलाजी (Imprint) इंडिया' का शुभारम्भ किया। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थानों का संयुक्त कार्यक्रम है।
- 'इम्प्रिन्ट इंडिया', इंजीनियरिंग तथा तकनीकी की चुनौतियों को हल करने से सम्बंधित अनुसंधानों के लिए एक रोड मैप विकसित करेगा। ये अनुसंधान भारत के लिए महत्वपूर्ण दस तकनीकी क्षेत्रों में होंगे।
- यह कदम तकनीकी संस्थाओं को उन क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिनके लिए देश विदेशी तकनीकी पर निर्भर रहता है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उर्जा, सतत नैनो-तकनीकी हार्डवेयर, जल संसाधन तथा नदी प्रणाली, उन्नत पदार्थ, विनिर्माण, सुरक्षा तथा रक्षा और पर्यावरण तथा वातावरण सम्मिलित हैं।

इस पहल के उद्देश्य -

- समाज के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को चिन्हित करना जिनमें नवोन्मेष की आवश्यकता है।
- इन क्षेत्रों में उच्च वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना।
- लोगो के जीवन स्तर पर अनुसंधानों के प्रभाव का आकलन करना।

आइ एस एस (ISS) पर मानव उपस्थिति के 15 वर्ष

- अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष स्टेशन (International Space Station - ISS) ने लगातार मानव उपस्थिति के 15 वर्ष पूर्ण किया।
- 2 नवम्बर 2000 को अभियान प्रथम (Expedition-1)के तहत प्रथम स्टेशन कमी तल सोयूज टी एम-31 अन्तरिक्षयान की गोद में पहुँचा।

महत्व -

- मानव ने अन्तरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक ज्ञान के उन्नतीकरण तथा नयी तकनीकी के प्रदर्शन के लिए कार्य किया है।
- अनुसंधान की महत्वपूर्ण खोजों द्वारा लम्बे समय तक मानव एवं रोबोटिक उपयोग को सुदूर अन्तरिक्ष में सक्षम बनायेगा।

सीएसई 2003 (b) - किस देश के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष स्टेशन को प्रारम्भ किया गया तथा किस वर्ष में? इस कार्यक्रम में कितने देश भाग ले रहे हैं ? ऐसे कौन से अद्वितीय अध्ययन यहाँ पर हो रहे हैं जो पृथ्वी पर ठीक से नहीं किये जा सकते हैं?

गूगल तथा यूरोपीय संघ के बीच संघर्ष

यूरोपीय संघ द्वारा नियुक्त आयोग ने गूगल पर अपनी सेवावों को क्षति पहुँचाने का आरोप लगाया। आयोग के अनुसार गूगल ने विक्रय संबंधी खोज परिणामों को विकृत रूप में जानकारी प्राप्तकर्ताऑ को दिखाया। यूरोपीय संघ ने गूगल को भारी अर्थ दण्ड की चेतावनी दी है। यह अर्थ दण्ड निवारण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है।

गूगल का अपने बचाव में जबाब -

- गूगल ने कहा यूरोप में इसके प्रभुत्व को आरोपित करके भुगतान नहीं माँगना चाहिए क्योंकि यह एक मुफ्त खोज सेवा उपलब्ध कराता है।
- प्रभुत्व के दुरूपयोग का जाँच परिणाम के लिए एक व्यापार सम्बंध (trading relationship) की आवश्यकता होती है, जैसाकि अनुरूप कानून द्वारा निश्चित किया जाता है। गूगल और इसके प्रयोक्ता के बीच कोई भी व्यापार सम्बंध (trading relationship) नहीं होता है।

आदित्य - सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का वैज्ञानिक मिशन

- आदित्य - सूर्य के अध्ययन के समर्पित भारत का पहला वैज्ञानिक मिशन है।
- यह इसरो (ISRO) तथा देश के अग्रणी संस्थानों के भौतिकशास्त्रियों के बीच एक संयुक्त पहल है।
- इस मिशन का उद्देश्य सूर्य और पृथ्वी के बीच आभामण्डल कक्षा के चारो ओर एक बिंदु पर भारी उपग्रह स्थापित करना है। यह बिन्दु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है।

मिशन का महत्व -

- यह सौर झंझावात (Solers terms) की उत्पत्ति तथा कैसे झंझावात विकसित होते है और कौन से पथ को ग्रहण करता है, को समझने में मदद करेगा।
- यह कोरोना तथा पर्यावरण पर सौर्यिक पवनों के प्रभावों को समझने में सहायता करेगा।
- यह अन्तरिक्ष वातावरण की भविष्यवाणी के लिए सूचना प्रदान करेगा तथा भारतीयों को अपने अन्तरिक्ष वातावरण की भविष्यवाणी

माडल के विकास की सम्भावना उत्पन्न करेगा।

- इसका प्रथम घटक वर्ष 1998 में कक्षा में प्रक्षेपित किया गया लेकिन इसका प्रथम अभियान 2 नवम्बर 2000 को सम्पन्न हुआ। 15 देशों की पाँच अलग-अलग अन्तरिक्ष एजेन्सी ने मिलकर 100 बिलियन डालर में अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया तथा आज तक इसका प्रचालन करते रहे। नासा, रूस की फेडरल अन्तरिक्ष एजेन्सी (रासकासमास ROSCOSMOS) यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी, कनाडा की अन्तरिक्ष एजेन्सी और जापान की एयरोस्पेस एकसप्लोरेशन एजेन्सी इस प्रोजेक्ट के मुख्य सहभागी अन्तरिक्ष एजेन्सियाँ हैं।

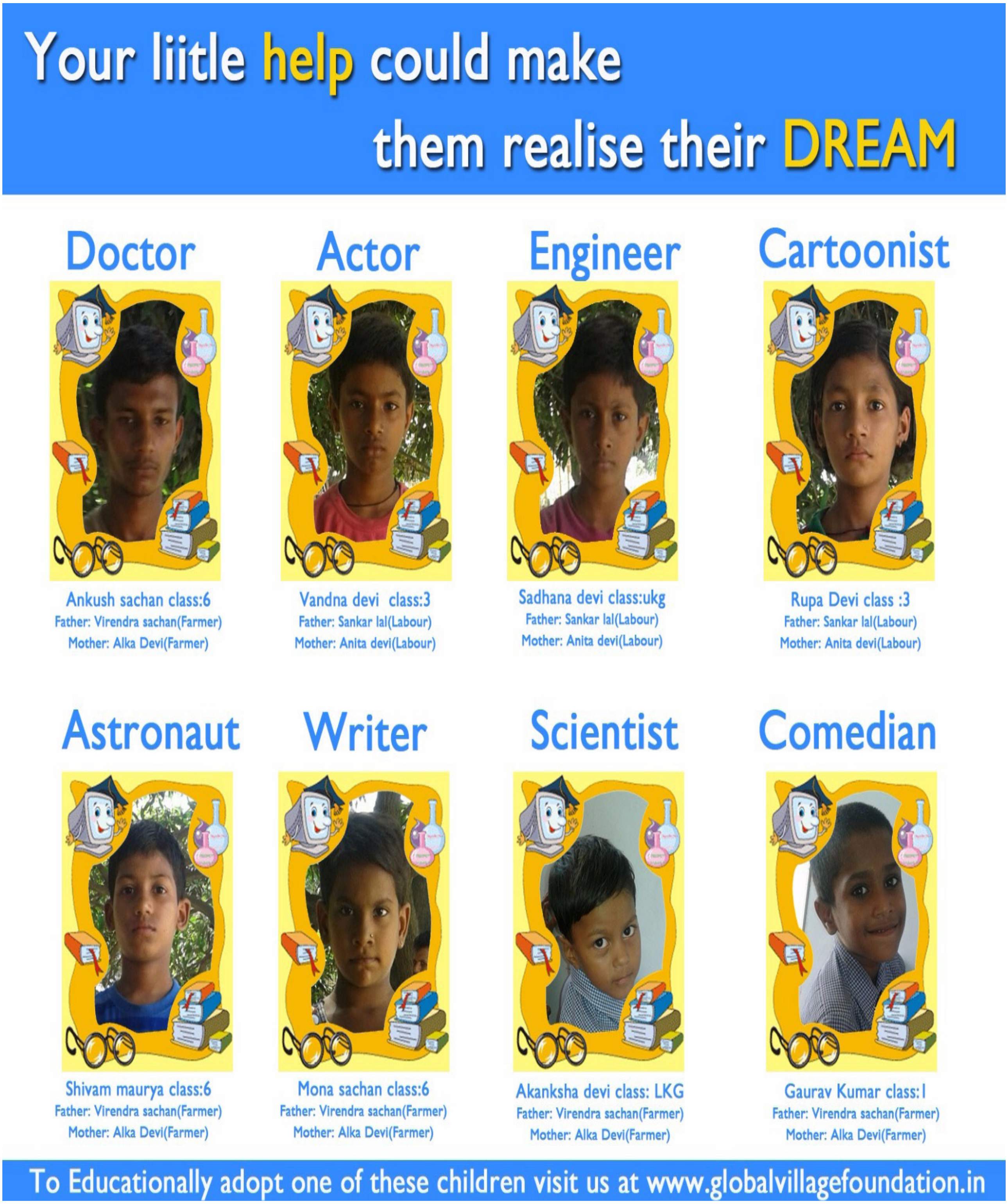

आंतरिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था

ग्राउंड जीरो शिखर सम्मेलन वर्ष 2015

- ग्राउंड जीरो शिखर सम्मेलन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के लिए एशिया का सबसे बड़ा सहयोगी मंच है। इस सम्मलेन में अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है और उभरती साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के सुझाव बताये जाते हैं। यह निजी और सरकारी उद्यमों, सरकारी विभागों, सुरक्षा और रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच संबंधों को स्थापित करने और मजबूत बनाने के लिए अवसर प्रदान करता है।
- शून्य की खोज भारत में हुई थी और शून्य, डिजिटल प्रणाली का अभिन्न अंग है। यह सम्मलेन भी भारत में ही आयोजित होता है। इसी आधार पर इस सम्मेलन का नामकरण किया गया है।
- इस सम्मलेन का आयोजन भारतीय इन्फोसेक कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है। भारतीय इन्फोसेक कंसोर्टियम प्रमुख साइबर विशेषज्ञों द्वारा गठित एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य: नवीनतम तकनीकी विकास के कारण उभरती साइबर सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए इस वर्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- इस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु थी: डिजिटल भारत - 'सुरक्षित डिजिटल भारत'

पृष्ठभूमि:

- साइबर दुनिया से संबंधित अपराध बहुस्तरीय, बहु-स्थानीय, बहुभाषी, बहु-सांस्कृतिक और बहु-कानूनी होते हैं। इसलिए इनकी जांच करना और अपराधी तक पहुँचना काफी मुश्किल होता है।
- वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में साइबर अपराध से संबंधित मामलों में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- इंटरनेट पर कट्टरता का खतरा बढ़ता जा रहा है।

साइबर सुरक्षा की जरूरत क्यों है:

- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए
- कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए
- आपदा प्रबंधन व्यवस्था का नियमित रूप से परीक्षण और सुधार सुनिश्चित करने के लिए
- डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं की सफलता के लिए

शिखर सम्मेलन का विषय केंद्र:

- भारत में कानून प्रवर्तन के नजरिए से विभिन्न साइबर अपराध के मामलों का अध्ययन, प्रवृत्तियों और जांच की चुनौतियों पर चर्चा की गई।
- शिखर सम्मेलन में स्वदेशी साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का प्रदर्शन किया गया और भारतीय साइबर सुरक्षा में नए उद्यमों की प्रदर्शनी लगायी गयी।

भविष्य की राह:

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र

- गुलशन राय समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने "भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र" स्थापित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
- इस केंद्र से साइबर अपराधों की निगरानी और उनसे निपटने के लिए क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी। साथ ही यह इन अपराधों को कम करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भी मदद करेगा।

आईटी पेशेवरों का संगठन:

- एक राष्ट्रीय साइबर रजिस्ट्री का विचार भी रखा गया है।
- इसके माध्यम से प्रतिभाओं की पहचान की जायेगी और इस क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाने के लिए पेशेवरों की निरंतर प्रयासों के माध्यम से सहायता की जाएगी।
- संघ लोक सेवा आयोग- मुख्य परीक्षा

वर्ष 2004: साइबर अपराध क्या होते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है?

वर्ष 2005: साइबर आतंकवाद

वर्ष 2013: कुछ रक्षा विश्लेषक इलेक्ट्रोनिकी संचार माध्यम द्वारा युद्ध को अलकायदा और आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं। आप "इलेक्ट्रोनिकी संचार माध्यम युद्ध" (Cyber warfare) से क्या समझते हैं? भारत ऐसे जिन खतरों के प्रति संवेदनशील है उनकी रूप-रेखा खींचिए और देश की उनसे निपटने की तैयारी को भी स्पष्ट कीजिए।

अंतरिक्ष में साइबर सुरक्षा

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था करीब 330 अरब डॉलर की हो गयी है। विभिन्न हितधारकों के बीच वाणिज्यिक मेलजोल से यह अवसरों के साथ-साथ खतरा भी पैदा करती है।

हैकर्स (कंप्यूटर घुसपैठिये) के लिए अंतरिक्ष दोहरा अवसर प्रदान करता है। हैकर्स के लिए उपग्रह trophy attacks बनते जा रहे हैं।

हैकिंग से खतरे -

- वाणिज्यिक नेटवर्क को सेवा प्रदान करने वाले उपग्रहों के बीच प्रसारित किये जाने वाली जानकारी (डेटा) तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार ये उपग्रह साइबर हमलों के लिए एक अच्छे लक्ष्य बनते

जा रहे हैं। उपग्रह निर्माताओं ने बताया है कि डेटा के अवरोधन के प्रयास और सॉफ्टवेयर में वायरस डालने के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं।

- अंतरिक्ष मुख्यत: बौद्धिक सम्पदा से सम्बंधित है। इस नवीनतम तकनीक के अनुसंधान और विकास में लम्बा समय लगता है और यह काफी खर्चीला भी है। इस वजह से साइबर हमले द्वारा तकनीक की चोरी से पैसे और समय की बचत हो जाती है।
- कंपनियां और यहां तक कि कई देश भी उपग्रहों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए विनिर्माण शक्तियों का दोहन करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में इस क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी को कुछ सूक्ष्म-परिपथ (Micro-Circuits) प्राप्त हुए। जब इन्हें माइक्रोस्कोप से जांचा गया तो पता चला कि उनके साथ बहुत ही बुनियादी स्तर पर छेड़छाड़ की गई थी। अगर इसका पता नहीं चलता तो यह हैकर्स को उपग्रह का उपयोग करने में मदद करता और इसके काफी नकारात्मक परिणाम हो सकते थे।

प्रभाव:

- इससे वाणिज्यिक उद्यम की लागत बढ़ सकती है और भविष्य के निवेश पर भी असर पड़ेगा।
- उपग्रह बनाने की लागत और प्रक्षेपण की लागत के बाद बीमा प्रीमियम तीसरा सबसे बड़ा खर्च होता जा रहा है।
- बौद्धिक संपदा, सैन्य और सामरिक जानकारी किसी अन्य के पास जाने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य:

- यह नया और उभरता युद्ध क्षेत्र है। इसके द्वारा उपग्रह प्रणालियों की सेवाओं को ठप्प किया जा सकता है जिसके हमारे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- जानकारी मिली थी कि भारत के इनसैट-4बी संचार उपग्रह की विफलता के लिए स्टक्सनेट नाम का वायरस जिम्मेदार था। हालांकि इसरो ने इस संभावना से साफ इनकार किया है।

भविष्य की राह:

- भविष्य में अंतरिक्ष प्रयास में सफलता समायोजित, साइबर सुरक्षित और छेड़छाड़ मुक्त साइबर सुरक्षा प्रणाली की स्थापना पर निर्भर करेगी। यह जरुरत या युद्ध के दौरान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत करने की क्षमता प्रदान करेगा।

संघ लोक सेवा आयोग- मुख्य परीक्षा

वर्ष 2006: बाह्य अंतरिक्ष संधि

वर्ष 2014: अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन नियम सभी देशों को अपने भूभाग के ऊपर के आकाशी क्षेत्र (एयरस्पेस) पर पूर्ण और अनन्य प्रभुता प्रदान करते हैं। आप आकाशी क्षेत्र से क्या समझते हैं? इस आकाशी क्षेत्र के ऊपर के आकाश के लिए इन नियमों के क्या निहितार्थ हैं? इनसे प्रसूत चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और खतरे को नियंत्रण करने के तरीके सुझाइए।

पुलिस सुधार

खबर में क्यों?

दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस पर राजनीतिक नियंत्रण पाने के लिए लड़ाई जारी रखी हुई है जबकि "दिल्ली पुलिस विधेयक वर्ष 2010" की फाइल गृह मंत्रालय में धूल खा रही है।

भारत में पुलिस सुधारों का इतिहास:

वर्ष 1861 का पुलिस अधिनियम 1860 की समिति द्वारा पेश किये गए मसौदे पर आधारित था। यह सत्तावादी प्रकृति का था क्योंकि यह वर्ष 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद में आया था।

यह अधिनियम केंद्र में आज भी प्रचलित है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार पुलिस बल को नियंत्रित करती है। मुख्यमंत्री या गृह मंत्री राज्य का पुलिस आयुक्त चुनता है।

सर्वोच्च न्यायलय के निर्देश:

सर्वोच्च न्यायलय ने पुलिस सुधार के लिए वर्ष 2006 में निम्न दिशा-निर्देश दिए थे:

- सरकार, न्यायपालिका और सिविल सोसाइटी के सदस्यों वाले एक राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना जो पुलिस बल के प्रहरी के रूप में काम करेगा।
- यह आयोग सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार राज्य पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव का प्रयोग नहीं करे।
- पुलिस महानिदेशक और फील्ड अधिकारियों का निश्चित कार्यकाल दो साल का रहेगा।
- पुलिसकर्मियों के तबादले के लिए एक पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना।
- शीघ्र जांच के लिए जांच और कानून-व्यवस्था इकाइयों को अलग अलग करना।
- जवाबदेही के साथ पुलिस को एक स्वायत्त इकाई बनाना।
- जांच विंग में अधिकारी स्टार के ही व्यक्तियों की भर्ती।
- पुलिस-बल में 50 फीसदी की बढोत्तरी।
- हर 50000 की आबादी पर अभियोजन के लिए एक स्वतंत्र इकाई स्थानीय अदालतों की स्थापना।

वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायलय ने इन निर्देशों के कार्यान्वयन की

निगरानी के लिए न्यायमूर्ति केटी थॉमस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

समिति ने राज्यों की ओर से कार्यान्वयन में पूर्ण अभाव और इच्छाशक्ति की कमी का का उल्लेख किया।

वर्ष 2015 में 17 राज्यों द्वारा पारित कानूनों के अवलोकन से पता चलता है कि पुलिस व्यवस्था में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। राज्य सुरक्षा आयोग की संरचना लगभग सभी राज्यों में सत्तारूढ़ सरकार के राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र नहीं है।

विवाद का कारण:

- ज्यादातर राज्यों में आयोग की सदस्यता से नेता-प्रतिपक्ष और स्वतंत्र सदस्यों को दूर रखा गया है।
- बहुत कम राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड को तबादले की शक्तियां देने के लिए सहमत हुए हैं।
- गुजरात, केरल, कर्नाटक और राजस्थान को छोड़कर अन्य राज्य पुलिस महानिदेशक को एक साल से अधिक का निश्चित कार्यकाल देने से असहमत हैं।
- पुलिस राज्य का विषय है लेकिन राज्य की सीमाओं से परे होने वाले अपराधों के आधार पर पुलिस सुधार को लेकर एक सकारात्मक धारणा की जरूरत है।

आयोग और समितियां

वर्ष 1902 में दूसरे पुलिस आयोग के बाद से पुलिस सुधार पर सिफारिशों के लिए कई आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया है।

उनमें से प्रमुख हैं: पुलिस प्रशिक्षण पर गोर (GOR) समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति, पुलिस सुधार पर पद्मनाभैया समिति, पुलिस सुधार पर सर्वोच्च न्यायलय के दिशा-निर्देश और सोली सोराबजी समिति।

अनूप चेतिया भारत के कब्ज़े में

- अनूप चेतिया उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) का संस्थापक नेता हैं।
- अनूप चेतिया को वर्ष 1997 में बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया था। परन्तु औपचारिक प्रत्यर्पण संधि के अभाव में उसे भारत प्रत्यारोपित करने में लगभग दो दशक लग गए।

भारत पर प्रभाव:

- अनूप चेतिया के भारत आने से विद्रोही उल्फा नेता परेश बरुआ की स्थिति कमजोर होगी।
- इससे अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले उल्फा गुट के साथ भारत सरकार की वार्ता को बढ़ावा मिलेगा।

'नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल' गुटों की अरुणाचल प्रदेश में पैठ

- नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (इसाक-मुइवा) के साथ किया गया शांति समझौता1 फिर से सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है।
- नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल के दो अन्य गुट - नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (खोले-कितोवी) और नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (रिफॉर्मेशन) इस समझौते के हिस्सा नहीं थे।
- इन दो अलग हुए गुटों की पैठ अरुणाचल प्रदेश में बढ़ने से गृह मंत्रालय ने राज्य के तीन जिलों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम (आफ्स्पा) की अवधि 6 और महीनों के लिए बढ़ा दी गई है।
- इसके अलावा, विभिन्न उग्रवादी संगठन - उल्फा (स्वतंत्र), नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (खापलांग), कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और बोडोलैंड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट (एस) - एक नए संगठन बनाने के लिए साथ आ गए हैं। इस नए संगठन का नाम यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया रखा गया है।
- 1 सरकार ने वर्ष 1997 में नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (इसाक-मुइवा) के साथ शांति वार्ता शुरू की थी। 3 अगस्त 2015 को सरकार ने इस गुट के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- नागा शांति समझौता और नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल के बारे में अधिक जानकारी के लिए अगस्त माह वाले नोट्स देखें।

मेघालय में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम (आफ्स्पा)

पृष्ठभूमि:

- मेघालय उच्च न्यायालय ने आतंकवाद प्रभावित गारो हिल्स क्षेत्र में विधि-शासन बहाल करने में प्रशासन की मदद के लिए केंद्र सरकार को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम लागू करने पर विचार करने को कहा है।
- उग्रवादियों द्वारा खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी के अपहरण एवं हत्या और गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी द्वारा एक व्यापारी की हत्या के मद्देनजर उच्च न्यायालय का यह आदेश काफी महत्वपूर्ण है ।
- केंद्र सरकार इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने पर विचार कर रही है।

आफ्सपा को लागू करने के लिए कानूनी आधार:

केंद्र सरकार सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को लागू कर सकती है। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था बहाल करने और बनाए रखने के लिए प्रशासन की सहायता करना है। इसके तहत क्षेत्र में केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जाती है।

ऐसा क्यों?

- गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी जैसे सशस्त्र उग्रवादी समूहों द्वारा हिंसक गतिविधियों के बावजूद मेघालय में AFSPA (आफ्सपा) लागू नहीं है।
- असम से सटी हुई सीमा के 20 किलोमीटर अन्दर तक का क्षेत्र इस कानून के दायरे में हैं। गृह मंत्रालय ने इस क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है और असम में तैनात सशस्त्र बलों को इस क्षेत्र में जाने की अनुमति दी गयी है।
- यह मुद्दा मेघालय की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और न्यायपालिका का मानना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य के पास क्षमताओं का अभाव है। अदालत ने कहा, "पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपहरण और हत्याओं की घटनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धन से भी कानून व्यवस्था सुधारने में मदद नहीं मिली है"।

ऐसा क्यों नहीं?

- मेघालय निवारक निरोध अधिनियम और मेघालय लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम जैसे कानूनों के प्रति राज्य में असंतोष की भावना है।
- 'अशांत क्षेत्र' में AFSPA (आफ्सपा) कानून के विस्तार का अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं है। यह केवल राज्य या केंद्र सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।
- न्यायपालिका को सरकार की शक्तियों को नियंत्रण में रखना चाहिए और AFSPA (आफ्सपा) जैसे असाधारण कानूनों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए, परन्तु न्यायपालिका सरकार से मेघालय में आफ्सपा लागू करने की माँग करके ऐसे क़ानून को बढ़ावा दे रही है।
- गारो हिल्स में आफ्सपा के विस्तार की सिफारिश करने से मेघालय उच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर अपनी भूमिका सीमित कर ली है।
- न्यायपालिका का यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ असंगत है। आफ्सपा को लागू करना मानव अधिकारों का उल्लंघन है और समकालीन कानून और आधुनिक न्यायशास्त्र की पवित्रता का भी उल्लंघन है।

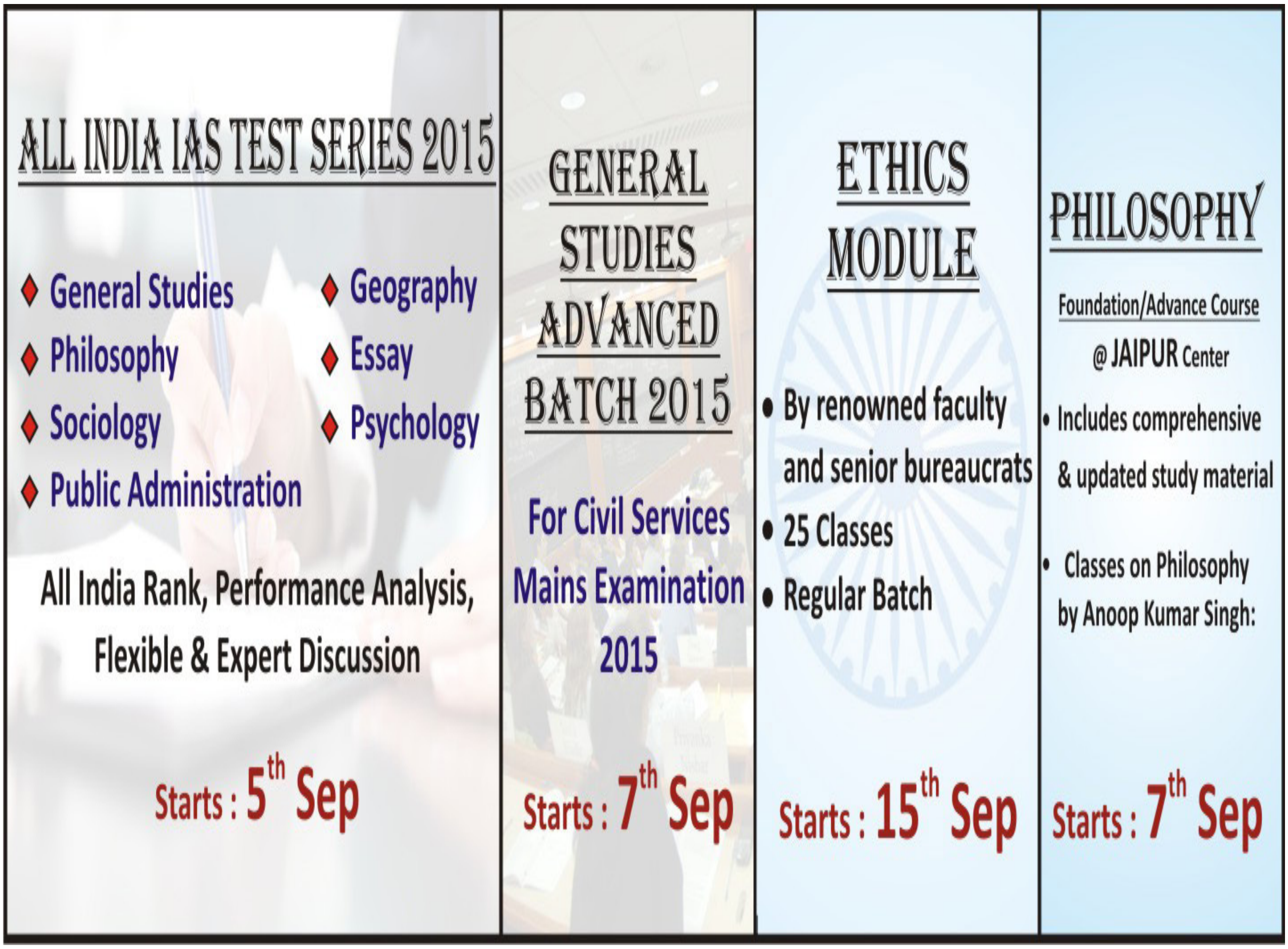

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

ILED The Way अभियान

ऊर्जा बचत के लिए ILED THE WAY अभियान बल्ब के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने यह अभियान चालु किया है।

टैग लाइन: टू मेक इंडिया ब्राईटर एंड स्मार्टर

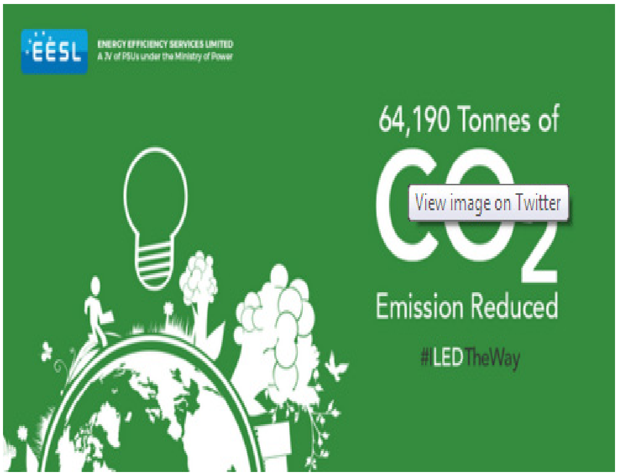

खबर में क्यों:

विद्युत्, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने डब्ल्यु. डब्ल्यु.डब्ल्यु.आईलेडदिवे.इन (www.iledtheway.in) वेबसाइट का शुभारंभ किया।

इस वेबसाइट का महत्व:

- यह वेबसाइट भारत के सभी नागरिकों को ऊर्जा बचत के बारे में जागरूक करने का प्रयास है।
- इस वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ता एलईडी बल्ब उपयोग करने की शपथ ले सकते हैं। एलईडी बल्ब अन्य बल्बों की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करते हैं।
- इस योजना के तहत घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम शुरू किया गया है और उपभोक्ताओं को करीब 2.4 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किये गए हैं।
- जिन शहरों/राज्यों में इस योजना के तहत एलईडी बल्ब वितरण नहीं किया जा रहा है, वहां के उपभोक्ता इस वेबसाइट पर अपनी संपर्क जानकारी साझा करके इस योजना के लिए अग्रिम पंजीकरण कर सकते हैं।
- सरकार इस योजना के तहत तीन साल में करीब 77 करोड़ परंपरागत बल्ब और सीएफएल की जगह एलईडी बल्ब लगाना चाहती है। साथ ही 3.5 करोड़ स्ट्रीट लाइट भी एलईडी से ही रोशन होंगी। इस प्रकार यह दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी प्रकाश आधारित कार्यक्रम है।

संघ लोक सेवा आयोग – प्रीलिम्स परीक्षा वर्ष 2011

सीएफएल और एलईडी लैंप में क्या अंतर है?

1. प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारा-वाष्प और प्रतिदीप्ति (Phosphor) का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्द्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है।

2. सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है।

3. एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा-सक्षम है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b)केवल 2 और 3

(c)केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

भारत वाहन उत्सर्जन मानक – छटा चरण

भारत स्टेज वाहन उत्सर्जन मानक क्या हैं?

- उत्सर्जन मानक, मोटर वाहन सहित किसी भी आंतरिक दहन इंजन उपकरण द्वारा किये जाने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले उत्सर्जन मापदंड होते हैं।
- भारत में यह मानक वर्ष 2000 में शुरू किये गये थे। तब यूरोपीय उत्सर्जन मानकों के आधार पर सरकार द्वारा भारत स्टेज मानकों को अपनाया गया था।
- इन मानकों का प्रत्येक चरण प्रदूषण पर एक निश्चित सीमा निर्दिष्ट करता है।
- इस सीमा को तेल कंपनियों द्वारा ईंधन के प्रकार के माध्यम से और ऑटो कंपनियों द्वारा वाहनों के उन्नयन और संशोधनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

खबर में क्यों?

हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पुष्टि की है कि मंत्रालय का उद्देश्य वर्ष 2020 तक देश में भारत स्टेज-छ: को लागू करने का है।

भारत स्टेज की वर्तमान स्थिति:

- वर्तमान में 33 शहरों में भारत स्टेज-चार मानक लागू हैं जबकि देश के बाकी हिस्सों में भारत स्टेज-तीन मानक लागू हैं ।

सम्बंधित मुद्दे:

- ऑटो कंपनियों ने चतुर्थ चरण से सीधे छठे चरण पर जाने में कठिनाई की चिंता व्यक्त की है क्योंकि उन्हें वाहनों के डिजाइन में परिवर्तन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पायेगा।

- यह कंपनियां ऐसा करने में आनी वाली वित्तीय समस्याओं से भी चिंतित हैं।
- भारत में ड्राइविंग परिस्थितियों यूरोप से काफी अलग हैं इसलिए यूरोपीय मानकों की सीधी नक़ल से समस्या आएगी।

संघ लोक सेवा आयोग- मुख्य परीक्षा

वर्ष 2010: देश में भारत वाहन उत्सर्जन मानकों के विकास के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों और उनकी वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए।

कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर रिकार्ड ऊँचाई पर

- हाल ही में विश्व मौसम-विज्ञान संगठन ने बताया है कि वर्ष 2015 के आरंभिक महीनों में कार्बन डाइऑक्साइड का औसत स्तर 400 भाग प्रति लाख से भी ज्यादा हो गया था जो कि पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 43 प्रतिशत अधिक है।

इस वृद्धि का प्रभाव:

- अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का यही स्तर बरक़रार रहता है तो मौसम में परिवर्तन होगा, दुनिया भर में तापमान में वृद्धि होगी, समुद्र स्तर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और सागर की अम्लता में वृद्धि होगी।
- प्रशांत महासागर में एक मजबूत अल-नीनो घटना से यह साल दुनिया का सबसे गरम साल होने की आशा है।

विश्व मौसम-विज्ञान संगठन:

यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह संगठन पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों के साथ उसके संपर्क, वातावरण और जल संसाधनों के वितरण का अध्ययन करता है।

संघ लोक सेवा आयोग – प्रीलिम्स परीक्षा वर्ष 2012

वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड

(a) वायु में उपस्थित जल-वाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है

(b) सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है।

(c) सम्पूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है।

(d) सौर विकिरण के अवरक्त अंश को भाग को अवशोषित करती है।

अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की तुलना में ज्यादा बर्फ बन रही है: नासा

- नासा के अध्ययन में पाया गया है कि अंटार्कटिका में वर्तमान में ग्लेशियरों से पिघलने वाली बर्फ की तुलना में ज्यादा बर्फ बन रही है।
- इस अध्ययन ने आईपीसीसी सहित अन्य अध्ययनों के निष्कर्ष को चुनौती दी है जिनके अनुसार अंटार्कटिका में बर्फ कम हो रही है।

इसका असर:

- अंटार्कटिका में बर्फ बढ़ने का मतलब है कि अंटार्कटिका का समुद्र स्तर बढ़ने में कोई योगदान नहीं होगा। यह ग्रीनलैंड और दुनिया भर के ग्लेशियरों के पिघलने से होने वाले बर्फ की कमी की कुछ भरपाई करने में मदद कर सकता है।
- वर्तमान में माना जाता है कि अंटार्कटिका में बर्फ की कमी का समुद्र स्तर बढ़ाने में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान है। इस वृद्धि को मियामी जैसे तटीय शहरों में हाल ही में उच्च ज्वार के दौरान देखा जा सकता है।

प्रमुख चिताएं:

- अध्ययन के मुताबिक पश्चिमी अंटार्कटिक में तेजी से घटती हुई बर्फ की मात्रा और महाद्वीप के अन्य भागो में धीमी गति से बर्फ निर्माण से अगले 20 वर्षों में समग्र रूप से बर्फ का नुकसान ही होगा।
- अन्य शोधों के अनुसार पश्चिम अंटार्कटिक में बर्फ की परत अस्थिर हो रही है जिससे समुद्र स्तर में 3 मीटर की वृद्धि हो सकती है।
- अगर यह अध्ययन सही है और अंटार्कटिका का समुद्र के स्तर में वृद्धि में योगदान नहीं है तो वैज्ञानिक समुद्र स्तर में वृद्धि के अन्य कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज कर रहे हैं।

पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन:

जलवायु-परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मलेन के तहत यह इक्कीसवां सम्मलेन 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक पेरिस (फ्रांस) में आयोजित किया जायेगा।

खबर में क्यों:

- उम्मीद है कि पेरिस में होने वाले इस सम्मलेन में वैश्विक जलवायु-परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर किये जा सकते हैं। भारत ने कहा है कि इस मुद्दे पर वर्ष 2020 के बाद के लिए वित्त-पोषण पर संकल्प इस शिखर सम्मेलन की सफलता तय करेगा।

मुद्देः

- अमीर विकसित देशों से हरित जलवायु कोष में योगदान करने की अपेक्षा की जाती है। यह कोष गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगा।
- विकसित देशों द्वारा वित्त प्रदान करने की प्रतिबद्धता उनकी आर्थिक क्षमता के साथ-साथ उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों पर भी आधारित होनी चाहिए।
- अमीर विकसित देश चाहते हैं कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी हरित जलवायु

कोष में योगदान देना चाहिए और यह पैसा गरीब देशों के पास जाना चाहिए। इस प्रकार जलवायु वित्त का पूरा मुद्दे काफी जटिल हो गये है।

साथ ही अमीर विकसित देश उनके द्वारा दिए गये ऋण और विदेशी विकास सहायता को भी जलवायु वित्त के रूप में रखना चाहते हैं। इसका चीन और जी-77 समूह द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।

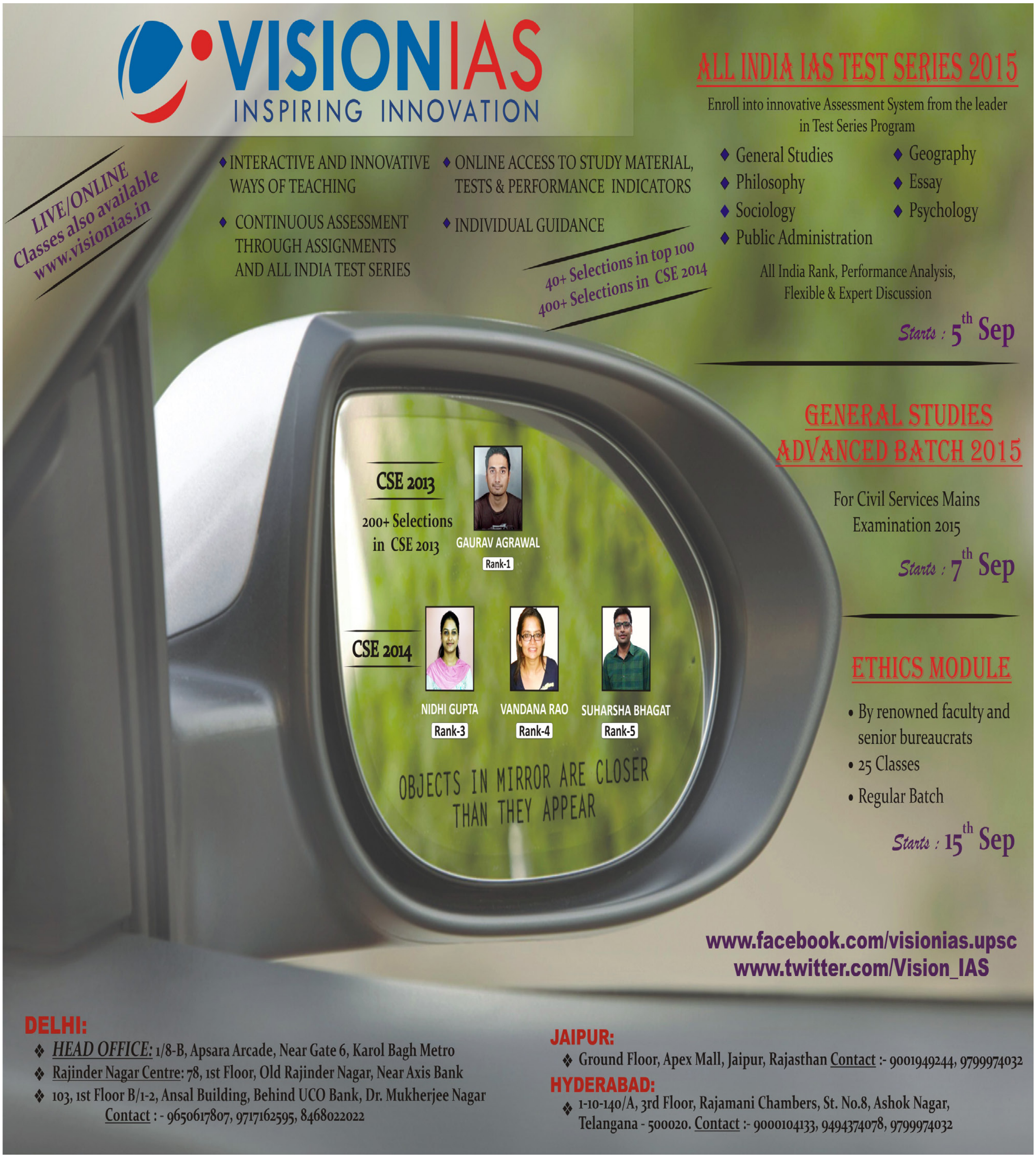

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS